खण्ड–26, अंक–01
सोमवार, 22 आषाढ़, शक संवत्, 1931
(13 जुलाई, 2009 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2009)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 26 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने की माँग ...	1–5
प्रश्नोत्तर	5–74
नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	74
उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)} (संशोधन) अध्यादेश 2009 (सदन के पटल पर रखा गया)	75
राजधानी स्थल चयन आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गई)	75
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक से प्राप्त 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	75
पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 (महामहिम राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु वापस) (सदन के पटल पर रखा गया)	75–76
उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	76
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	76
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	76
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 (अधिनियमित होने की घोषणा)	77
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	77
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	78
नियम–58 के अन्तर्गत सूचनाएँ	78–79
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएँ	79
नत्थियाँ	80–94

'क'

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री ओम गोपाल
7–सुश्री कैरन मेयर
8–श्री किशोर उपाध्याय
9–श्री केदार सिंह रावत
10–श्री केदार सिंह फोनिया
11–श्री खजान दास
12–श्री खड़क सिंह बोहरा
13–श्री गणेश जोशी
14–श्री गोपाल सिंह
15–श्री गोपाल सिंह रावत
16–श्री गोविन्द लाल
17–श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल
18–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
19–श्री चन्दन राम दास
20–श्री जोगा राम टम्टा
21–श्री जोत सिंह गुनसोला
22–हाजी तस्लीम अहमद
23–श्री तिलक राज बेहड़
24–श्री दिनेश अग्रवाल
25–श्री दिवाकर भट्ट
26–श्री दिवान सिंह
27–श्री नारायण पाल
28–काजी मौ0 निजामुद्दीन
29–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30–श्री प्रकाश पन्त
31–श्री कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32–श्री प्रीतम सिंह
33–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
34–श्री प्रेमानन्द महाजन
35–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36–श्री बलवीर सिंह नेगी
37–श्री बिशन सिंह चुफाल
38–श्री बंशीधर भगत
39–श्री बृजमोहन कोटवाल
40–श्री शेर सिंह
41–श्री मदन कौशिक
42–श्री मनोज तिवारी
43–श्री मयूख सिंह
44–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"
45–श्री मातबर सिंह कण्डारी
46–श्री यशपाल आर्य
47–श्री यशपाल बेनाम
48–चौ0 यशवीर सिंह
49–श्री रणजीत रावत
50–डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
51–श्री राजकुमार
52–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
53–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
54–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
55–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
56–श्रीमती वीना महराना
57–श्री शहजाद
58–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
59–श्री सुरेन्द्र राकेश
60–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
61–श्री सुरेश चन्द जैन
62–डा0 हरक सिंह रावत
63–श्री हरभजन सिंह चीमा
64–श्री हरिदास
65–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 2009 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यवाही 'वन्दे मातरम्' से प्रारम्भ की जाती है।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।

कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

*श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पन्त नगर विश्वविद्यालय के कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, जिसके कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, अंशु नौटियाल के मामले में सी0बी0आई0 जाँच करायी जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत कुल 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, पहली सूचना डा0 हरक सिंह रावत, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री दिनेश अग्रवाल तथा श्री केदार सिंह रावत की है, जो देहरादून में अंशु नौटियाल हत्याकाण्ड से सम्बन्धित है।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया स्थान ग्रहण करें। जब तक अनुमति न दी जाय, तब तक किसी की बात का संज्ञान न लिया जाय। (व्यवधान) दूसरी सूचना श्री यशपाल आर्य, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल तथा श्री रणजीत सिंह रावत की है, जो हल्द्वानी स्थित डा0 सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में संविदा पर कार्यरत श्रमिकों द्वारा जहर पीने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री प्रीतम सिंह, श्रीमती अमृता रावत तथा श्री बलबीर सिंह नेगी की है, जो देहरादून में 3 जुलाई, 2009 को लाडपुर के जंगल में हुए स्व0 रणबीर मुठभेड़ से सम्बन्धित है और चौथी सूचना श्री तिलक राज बेहड़ तथा श्री गोपाल सिंह राणा की है, जो पन्त नगर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा छठे वेतनमानों की संस्तुतियों को लागू करने के लिए हड़ताल के सम्बन्ध में है। (व्यवधान) मैं आप सबकी बात सुन रहा हूँ। (व्यवधान) मा0 नेता प्रतिपक्ष, आप सहमत होंगे कि आज जो विभिन्न प्रश्न लगे हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। नियम–310 के जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन चारों सूचनाओं को मैं नियम–58 में सुन लूँगा। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। चारों विषय तात्कालिक हैं और महत्वपूर्ण हैं, अतः मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–58 में सुनने की अनुमति दे रहा हूँ।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाह रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

जब तक माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर नहीं जाते, उनकी किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विनिश्चय दिया जा चुका है कि इन सूचनाओं को आप नियम-58 में सुन लेंगे, इस पर चर्चा हो जायेगी। आखिर सरकार ने क्या किया है, उस घटना के पीछे क्या तथ्य हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिये और सरकार चाहती है कि इस पर चर्चा हो।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे और नारे लगाने लगे।)

(माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, सदन में घोर व्यवधान होने के कारण कुछ नहीं सुनाई दिया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक अल्पसूचित प्रश्न लगा है, अनेक तारांकित प्रश्न भी हैं, जो कि सभी महत्वपूर्ण हैं।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे और नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जाते, तब तक उनकी किसी बात का संज्ञान न लिया जाय।

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे। बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त-

श्रीमन् मेरा विनम्र अनुरोध है कि विषयों का समाधान बहस से होगा और बहस के लिए जब सदन के अन्दर बातें रखी जाएंगी, विषय आएंगे तभी उसका समाधान निकलेगा। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा होनी चाहिए, पुलिस की भूमिका पर। आज तो एक एन्काउन्टर हुआ है, अभी न जाने क्या–क्या ये लोग करेंगे, अगर इनका हौसला इस तरीके से बढ़ता रहेगा तो मान्यवर, इस पर सदन में खुले रूप में चर्चा होनी चाहिए, आज यह बहस का सबसे बड़ा विषय है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, सुशीला तिवारी फॉरेस्ट हॉस्पिटल में आज छोटे कर्मचारियों का ई0पी0एफ0 का मामला तक नहीं सुलझा है। (घोर व्यवधान) ई0पी0एफ0 कार्यालय की पूरी भूमिका संदिग्ध है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मित्र पुलिस का जो चरित्र है, वह मित्र पुलिस के बजाय आज पूरे देश की जनता के सामने है, उत्तराखण्ड की पुलिस का जो चरित्र है, जो स्वरूप है, एक बहुत भयानक स्वरूप और बहुत भयानक चरित्र पूरे देश के सामने आज पहुँच गया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आज सारी विधानसभा की कार्यवाही रोकते हुए नियम–310 के तहत चर्चा स्वीकार कर ली जाय। (व्यवधान) भले ही सरकार ने रणवीर एन्काउंटर में सी0बी0आई0 जांच की बात स्वीकार की हो, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, उसमें जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो जांच को प्रभावित न कर सकें, चाहे एस0एस0पी हों, चाहे आई0जी0 हों, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

जिससे अधिकारी हेड क्वार्टर में बैठकर, पुलिस लाईन में बैठकर जांच को प्रभावित न कर सकें। (व्यवधान) अंशु हत्याकांड की सी0बी0आई0 से जांच होनी चाहिए और सरकार के पिछले ढाई साल के शासनकाल में जितने भी एन्काउंटर हुए हैं, उन एन्काउंटर की भी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन पूर्वाह्न 11:45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन पूर्वाह्न 12:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 12:20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

जनपद हरिद्वार में पर्वो के अवसर पर ट्रैफिक व्यवस्था तथा उसका स्वरूप

**1–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार जनपद में पर्वों के अवसर पर मुख्य मार्गों पर हमेशा जाम लगा रहता है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा जाम से छुटकारा दिलाने के लिये ट्रैफिक व्यवस्था हेतु कोई ठोस योजना बनाई गयी है?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है? यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

हरिद्वार जनपद में विभिन्न मेलों, त्यौहारों एवं पर्वों के अवसर पर भारी संख्या में यात्रियों/श्रद्धालुओं के आवागमन के कारण यदा–कदा जाम की स्थिति बन जाती है।

जी हाँ।

जनपद हरिद्वार में विभिन्न पर्वों पर मुख्य मार्गों के यातायात नियंत्रण हेतु दीर्घकालिक एवं तात्कालिक पृथक–पृथक योजनाएं तैयार की गयी हैं। दीर्घकालिक

नोटः–उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

योजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेनिंग (नारसन बार्डर से भूपतवाला बैरियर तक) किया जाना, विभिन्न स्थलों पर अतिरिक्त पुलों का निर्माण, पंतद्वीप, हरकीपैड़ी, धोबीघाट, रोड़ीबेलवाला, आनन्दवन, चमगादड़ टापू, बैरागी कैम्प, कनखल, मोतीचूर, सर्वानन्द घाट आदि स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 एवं 74 की वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। यातायात की व्यवस्था हेतु बाईपास मार्ग टिबड़ी–ब्रहमपुरी होते हुये दिल्ली, सहारनपुर, देहरादून एवं ऋषिकेश के वाहनों को शहर के बाहर से निकालकर वाहनों का दवाब कम किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के डाइवर्जन की व्यवस्था (रुड़की के मिलिट्री चौराहे से ढंढेरा लक्सर मार्ग पर) तथा मंगलौर लण्ढौरा मार्ग पर भी डाइवर्ज़न यथा आवश्यकता किया जाता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली के वाहन, जिन्हें देहरादून जाना होता है, उन्हें रुडकी मिलिट्री तिराहे से भगवानपुर होते हुये छुटमलपुर देहरादून या नारसन चौराहे से झबरेड़ा होते हुये भगवानपुर तथा छुटमलपुर की तरफ भेजा जाता है।

तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत हरिद्वार शहर में फुटपाथ की व्यवस्था, विद्युत सिग्नल की व्यवस्था, बोर्ड एवं होर्डिंग हटाने, जेबरा लाइन/स्टॉप लाइन का निर्माण यथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एन0एच0ए0आई0 द्वारा शंकराचार्य चौक, चण्डीघाट चौक, दूधाधारी चौक आदि पर रोड मार्किंग/जेबरा क्रॉसिंग बनाया गया है। यातायात की व्यवस्था को नियंत्रित किये जाने हेतु शहर एवं मेला क्षेत्र के अतिक्रमण को हटाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे, महत्वपूर्ण स्थानों एवं धार्मिक स्थानों के समीप लगे ठेली, फड़, खोखे, अस्थायी दुकानों आदि को हटाया गया है। तात्कालिक व्यवस्था में एकल मार्ग व्यवस्था के अन्तर्गत वाहनों को देवपुरा बस अड्डे से शिवमूर्ति ललतारौ पुल चौक, बिरला ब्रिज होते हुये चण्डीघाट चौक, तिरछापुल से शंकराचार्य चौक होकर ऋषिकुल नया पुल की ओर यथा समय परिवर्तित किया जाता है। चण्डीघाट चौक (ललतारौ पुल साइड) पर बैरियर लगा दिये गये हैं जिससे कि यातायात ललतारौ पुल साइड से बाहर तो जा सकता है परन्तु अन्दर शहर में नहीं आ सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को ऋषिकेश नटराज चौराहे से देहरादून नेशनल हाई–वे की ओर डाइवर्ट कर यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार हरिद्वार स्थित वी.वी.आई.पी. घाट से बैराज होते हुये (चीला) नहर के किनारे–किनारे ऋषिकेश की ओर भी डाइवर्ट यथा आवश्यकता किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत प्रथम सोमवार हेतु स्थगित तारांकित प्रश्न [वर्ष 2005–06 में सचिवालय में विचारित एवं निस्तारित पत्रों की संख्या]

*1–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या सचिवालय प्रशासन विभाग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2005–06 में सचिवालय में विचारित एवं निस्तारित पत्रों की संख्या क्या रही,

तथा इन तीन वर्षों में विचाराधीन पत्रों की बढ़ती हुयी संख्या के अनुपात में अनुभागों एवं कार्मिकों की संख्या बढ़ायी गई?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे।

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 2005–2006 में विचारित/निस्तारित पत्रों की संख्या क्रमशः 1,80,812 और 1,76,613 रही।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुभागों के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

तारांकित प्रश्न

जनपद टिहरी अन्तर्गत नरेन्द्रनगर में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का निर्माण कार्य तथा निर्धारित सीमा

*1–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर में निर्माणाधीन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की निर्माण एजेन्सी राजकीय निर्माण निगम है?

यदि हाँ, तो पी0टी0सी0 का निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ तथा अब तक कितना निर्माण कार्य हो चुका है?

क्या निर्माण कार्य पूरा किये जाने की कोई समय सीमा निर्धारित की जायेगी? यदि हाँ, कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?"

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ,

(सम्प्रति प्रथम चरण हेतु)

पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के प्रथम चरण का निर्माण कार्य दिनांक 24.12.2008 से प्रारम्भ हो चुका है। मुख्य सड़क से निर्माण स्थल तक 03 कि0मी0 कच्ची सड़क का निर्माण हो गया है। प्रशासनिक भवन के कॉलम व छत, परेड ग्राउन्ड के लेवलिंग एवं आवासों हेतु टेरेस कटिंग का कार्य प्रगति पर है।

जी हाँ, केवल प्रथम चरण के निर्माण कार्य की समय सीमा मार्च 2010 निर्धारित की गयी है। निर्माण के शेष चरणों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के ग्राम आगर में वर्ष 2007 में भूस्खलन से हुई क्षति पर भू–सर्वेक्षण की आख्या तथा खतरों के क्षेत्र से परिवारों का पुनर्वास

*2–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि वर्ष 2007 में भारी बरसात व अतिवृष्टि से विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के ग्राम आगर में हुये भू–स्खलन के कारण उजड़ गये मकान व कृषि भूमि का शासन ने भू–वैज्ञानिकों से सर्वेक्षण करवाया था?

यदि हाँ, तो भू–वैज्ञानिकों की सर्वेक्षण आख्या में भू–स्खलन का केन्द्र किस स्थान पर था ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि भू–स्खलन के केन्द्र की परिधि में कुल कितने ऐसे परिवार व मकान स्थित हैं जिनको अभी तक कोई क्षति नहीं पहुंची किन्तु भविष्य में खतरे की संभावना बनी हुयी है?

क्या सरकार इन परिवारों को भी अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रथम संक्षिप्त आख्या उपलब्ध करायी गयी है। आख्या में भूस्खलन केन्द्र से सम्बन्धित कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की उत्तराखण्ड इकाई द्वारा अपनी आख्या में उन परिवारों/भवनों की संख्या जिन्हें भूस्खलन/भू–धंसाव से खतरे की सम्भावना है, के संबन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है, जो कि वर्तमान में सुरक्षित हैं, परन्तु उन्हें भविष्य में खतरा हो सकता है।

आपदा राहत निधि की गाइड लाईन्स के अनुसार स्थायी पुनर्वास अनुमन्य नहीं है। स्थायी पुनर्वास के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अलग से पुनर्वास नीति तैयार की जा रही है। भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की विस्तृत आख्या एवं पुनर्वास नीति निर्धारण के उपरान्त ही अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

प्रदेश में आतंकी घटनाओं से निपटने एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु सक्षम सुरक्षा तंत्र विकसित करने की योजना

*3–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 26.11.08 को मुंबई में हुई आतंकी हमले जैसी आतंकी घटनाओं से निपटने तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों/धार्मिक

स्थलों सहित जनता की सुरक्षा के लिए प्रदेश में एन0एस0जी0 कमाण्डो जैसा प्रशिक्षित सक्षम तंत्र विकसित किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि निर्माणाधीन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज नरेन्द्रनगर में कमाण्डो प्रशिक्षण की सुविधा/संसाधन उपलब्ध करवाये जाने पर सरकार विचार करेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

विशेष प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं प्रचलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नरेन्द्रनगर में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज अभी निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कमाण्डो प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु यथासमय विचार होगा।

उप महाप्रबन्धन विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को रिटेट एवं देवकुण्डई में अतिरिक्त फेस डलवाने हेतु कार्य से सम्बन्धित गलत सूचना पर उत्तरदायी तथा आख्या का विवरण

*4–श्रीमती अमृता रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उपमहाप्रबन्धन विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल) को सम्बोधित अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड के श्रीनगर (गढ़वाल) के पत्रांक 1254/वि0वि0ख0श्री/ सूचना दिनांक 31.03.2008 के साथ प्रस्तुत कार्य प्रगति आख्या के क्रमांक 20 पर अंकित "रिटेट एवं देवकुण्डाई में अतिरिक्त फेस डलवाना" से स्वीकृत कार्य दिनांक 15.12.2007 को पूर्ण दिखाया गया है जबकि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 1261/विधायक/6–ऊर्जा/2008–09 दिनांक 15.11.2008 के द्वारा स्वीकृत कार्य न होने की जानकारी दी गई है?

यदि हाँ, तो गलत सूचना देने के लिए कौन उत्तरदायी है?

क्या इसी परिप्रेक्ष्य में अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल) को तीन दिन के अन्दर आख्या प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उप महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 श्रीनगर (गढ़वाल) के पत्रांक 7849/वि0वि0म0श्री0/आर0–06 दिनांक 21.11.2008 के द्वारा निर्देशित किया गया है?

यदि हाँ, तो अधिशासी अभियंता द्वारा की गई आख्या का विवरण..क्या है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

श्री एम0एस0 राणा, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर।

जी हाँ।

अधिशासी अभियन्ता, श्रीनगर ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में प्रेषित आख्या के क्रमांक 20 पर अंकित रिटेट एवं देवकुण्डाई में अतिरिक्त फेस वायर डालने के कार्य के स्थान पर 300 मी0 एल0टी0 लाईन निर्माण तथा 25 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण का कार्य किया गया, किन्तु टंकण कार्य के दौरान शीर्षक बदल गया, जिसके लिये शासन द्वारा नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल को निर्देशित किया गया है।

जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित बेगुल डाम, नानक सागर, तुमड़िया बौर आदि जलाशयों हेतु राजस्व विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को उपलब्ध कराई गई भूमि

*5–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंहनगर में स्थित बेगुल डाम नानक सागर, तुमड़िया बौर आदि जलाशयों हेतु राजस्व विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को कितने एकड़ भूमि दी गयी थी?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि जलाशयों के बनने के बाद शेष बची भूमि को सिंचाई विभाग से वापस ले लिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में वितरित किये जाने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

प्रश्न का उत्तर दिये जाने हेतु सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन में परिवार कार्यक्रम योजनान्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन में दोहरा मापदण्ड

*6–श्री यशपाल बेनाम–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के कारण स्वैच्छिक परिवार कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के

स्थलों सहित जनता की सुरक्षा के लिए प्रदेश में एन0एस0जी0 कमाण्डो जैसा प्रशिक्षित सक्षम तंत्र विकसित किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि निर्माणाधीन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज नरेन्द्रनगर में कमाण्डो प्रशिक्षण की सुविधा/संसाधन उपलब्ध करवाये जाने पर सरकार विचार करेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

विशेष प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं प्रचलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नरेन्द्रनगर में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज अभी निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कमाण्डो प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु यथासमय विचार होगा।

उप महाप्रबन्धन विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को रिटैट एवं देवकुण्डई में अतिरिक्त फेस डलवाने हेतु कार्य से सम्बन्धित गलत सूचना पर उत्तरदायी तथा आख्या का विवरण

*4–श्रीमती अमृता रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उपमहाप्रबन्धन विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर (गढवाल) को सम्बोधित अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड के श्रीनगर (गढ़वाल) के पत्रांक 1254/वि0वि0ख0श्री/ सूचना दिनांक 31.03.2008 के साथ प्रस्तुत कार्य प्रगति आख्या के क्रमांक 20 पर अंकित "रिटैट एवं देवकुण्डाई में अतिरिक्त फेस डलवाना" से स्वीकृत कार्य दिनांक 15.12.2007 को पूर्ण दिखाया गया है जबकि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 1261/विधायक/6–ऊर्जा/2008–09 दिनांक 15.11.2008 के द्वारा स्वीकृत कार्य न होने की जानकारी दी गई है?

यदि हाँ, तो गलत सूचना देने के लिए कौन उत्तरदायी है?

क्या इसी परिप्रेक्ष्य में अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल) को तीन दिन के अन्दर आख्या प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उप महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 श्रीनगर (गढ़वाल) के पत्रांक 7849/वि0वि0म0श्री0/आर0–06 दिनांक 21.11.2008 के द्वारा निर्देशित किया गया है?

यदि हाँ, तो अधिशासी अभियंता द्वारा की गई आख्या का विवरण क्या है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

श्री एम0एस0 राणा, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर।

जी हाँ।

अधिशासी अभियन्ता, श्रीनगर ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में प्रेषित आख्या के क्रमांक 20 पर अंकित रिटेट एवं देवकुण्डाई में अतिरिक्त फेस वायर डालने के कार्य के स्थान पर 300 मी0 एल0टी0 लाईन निर्माण तथा 25 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण का कार्य किया गया, किन्तु टंकण कार्य के दौरान शीर्षक बदल गया, जिसके लिये शासन द्वारा नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल को निर्देशित किया गया है।

जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित बेगुल डाम, नानक सागर, तुमड़िया बौर आदि जलाशयों हेतु राजस्व विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को उपलब्ध कराई गई भूमि

*5–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंहनगर में स्थित बेगुल डाम नानक सागर, तुमड़िया बौर आदि जलाशयों हेतु राजस्व विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को कितने एकड़ भूमि दी गयी थी?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि जलाशयों के बनने के बाद शेष बची भूमि को सिंचाई विभाग से वापस ले लिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में वितरित किये जाने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

प्रश्न का उत्तर दिये जाने हेतु सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन में परिवार कार्यक्रम योजनान्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन में दोहरा मापदण्ड

*6–श्री यशपाल बेनाम–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के कारण स्वैच्छिक परिवार कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के

कर्मचारियों को अनुमन्य की गयी वैयक्तिक वेतन की राशि में दोहरे मापदण्ड अपनाये गये हैं?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

क्या सरकार इस विसंगति को दूर करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्त।

प्रश्न नहीं उठता है।

*7–काजी मौ0 निजामुद्दीन–

(विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–28 के अन्तर्गत निरस्त)

राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाये जाने हेतु सरकार के प्रयास

*8–काजी मौ0 निजामुद्दीन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

क्या इस हेतु कोई लक्ष्य रखा गया है?

यदि हाँ, तो वह लक्ष्य क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये जा रहे हैं:–

1. राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, केन्द्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रम एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से परियोजनायें विकसित की जा रही हैं। निजी क्षेत्र में सम्बन्धित जल विद्युत नीति के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 को 2800 मे0वा0, केन्द्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रम को 7302 मे0वा0 तथा निजी क्षेत्र को 1882 मे0वा0 तथा सिंचाई विभाग को 138 मे0वा0 की परियोजनायें आवंटित की गई हैं तथा 3124 मे0वा0 क्षमता की परियोजनायें विकसित की जा चुकी हैं।

2. उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 के पुराने जल विद्युत गृहों का पुनरोद्धार, उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य प्रस्तावित है जिससे ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की सम्भावना है।

3. राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों, जहाँ पर ग्रिड से विद्युत आपूर्ति सम्भव नहीं है, वहाँ उरेडा के माध्यम से प्रकाशीकरण एवं ग्रामीण सहभागिता से माइक्रो हाइडिल परियोजनायें बना कर विद्युतीकरण का प्रयास किया जा रहा है।

4. राज्य में चिन्हित जल विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त परियोजनाओं के चिन्हीकरण, विकास एवं तदोपरान्त मार्केटिंग हेतु मै0 आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 के साथ संयुक्त उपक्रम गठित कर कार्य किये जा रहे हैं।

5. निजी क्षेत्र को दी गई परियोजनाओं से निःशुल्क विद्युत के अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

6. राज्य में AT&C Losses को कम करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत R-APDRP राज्य में संचालित की जा रही है।

विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से राज्य में लगभग 20000 मे0वा0 क्षमता की विद्युत परियोजना विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी की परिभाषा, संख्या एवं उनके कल्याण हेतु योजना

*9–काजी मौ0 निजामुद्दीन तथा
श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी की क्या परिभाषा है एवं राज्य में इस समय कितने उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार इन आंदोलनकारियों के कल्याण हेतु कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन में प्रतिभाग करने से सम्बन्धित अभिलेखों की समुचित पुष्टि के उपरान्त चिन्हित आन्दोलनकारी को "राज्य आन्दोलनकारी" परिभाषित

कर्मचारियों को अनुमन्य की गयी वैयक्तिक वेतन की राशि में दोहरे मापदण्ड अपनाये गये हैं?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

क्या सरकार इस विसंगति को दूर करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्त।

प्रश्न नहीं उठता है।

*7–काजी मौ0 निजामुद्दीन–

(विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–28 के अन्तर्गत निरस्त)

राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाये जाने हेतु सरकार के प्रयास

*8–काजी मौ0 निजामुद्दीन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

क्या इस हेतु कोई लक्ष्य रखा गया है?

यदि हाँ, तो वह लक्ष्य क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये जा रहे हैं:–

1. राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, केन्द्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रम एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से परियोजनायें विकसित की जा रही हैं। निजी क्षेत्र में सम्बन्धित जल विद्युत नीति के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 को 2800 मे0वा0, केन्द्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रम को 7302 मे0वा0 तथा निजी क्षेत्र को 1882 मे0वा0 तथा सिंचाई विभाग को 138 मे0वा0 की परियोजनायें आवंटित की गई हैं तथा 3124 मे0वा0 क्षमता की परियोजनायें विकसित की जा चुकी हैं।

2. उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 के पुराने जल विद्युत गृहों का पुनरोद्धार, उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य प्रस्तावित है जिससे ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की सम्भावना है।

3. राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों, जहाँ पर ग्रिड से विद्युत आपूर्ति सम्भव नहीं है, वहाँ उरेडा के माध्यम से प्रकाशीकरण एवं ग्रामीण सहभागिता से माइक्रो हाइडिल परियोजनायें बना कर विद्युतीकरण का प्रयास किया जा रहा है।

4. राज्य में चिन्हित जल विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त परियोजनाओं के चिन्हीकरण, विकास एवं तदोपरान्त मार्केटिंग हेतु मै0 आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 के साथ संयुक्त उपक्रम गठित कर कार्य किये जा रहे हैं।

5. निजी क्षेत्र को दी गई परियोजनाओं से निःशुल्क विद्युत के अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

6. राज्य में AT&C Losses को कम करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत R-APDRP राज्य में संचालित की जा रही है।

विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से राज्य में लगभग 20000 मे0वा0 क्षमता की विद्युत परियोजना विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी की परिभाषा, संख्या एवं उनके कल्याण हेतु योजना

*9–काजी मौ0 निजामुद्दीन तथा
श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी की क्या परिभाषा है एवं राज्य में इस समय कितने उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार इन आंदोलनकारियों के कल्याण हेतु कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन में प्रतिभाग करने से सम्बन्धित अभिलेखों की समुचित पुष्टि के उपरान्त चिन्हित आन्दोलनकारी को "राज्य आन्दोलनकारी" परिभाषित

किया गया है। राज्य में सम्प्रति 3135 उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी चिन्हित हैं।

जी हाँ।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा निम्न योजनाऐं बनायी गयी हैं:-

1. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल एवं 07 दिन या उससे अधिक अवधि के लिये जेल में निरूद्ध रहे आन्दोलनकारियों को सेवायोजित किया जाना।
2. 07 दिन से कम अवधि के लिये जेल गये आन्दोलनकारियों को, जिनकी आयु अधिकतम 50 वर्ष हो गयी है, को नियुक्ति में 05 प्रतिशत का अधिमान तथा 10 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण की सुविधा 10 अगस्त, 2011 तक अनुमन्य है।
3. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल एवं 07 दिन या उससे अधिक अवधि के लिये जेल में निरूद्ध रहे ऐसे आन्दोलनकारी, जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो गयी हो, ऐसे अर्ह आन्दोलनकारी, जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने के कारण सेवा करने हेतु अनिच्छुक अथवा अक्षम हैं, के परिवार के एक आश्रित को सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण की सुविधा।
4. राज्य निर्माण आन्दोलनकारियों का चिन्हीकरण कर उनको पहचान-पत्र निर्गत किया जाना।
5. चिन्हित आन्दोलनकारी, जो सात दिन से कम अवधि के लिऐ जेल गये हैं, उनको स्वरोजगार की योजनाओं में प्राथमिकता प्रदान करना।
6. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी, जिनके विरूद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा अपराध पंजीकृत कर मुकदमे दायर किये गये, को अनुग्रह राशि स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के निजी बी0एड0 कॉलेजों में यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत प्रवेश एवं मनमाने शुल्क की वसूली

*10-श्री खड़क सिंह बोहरा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में निजी बी0एड0 कॉलेजों में यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत प्रवेश दिये जा रहे हैं?

क्या यह सत्य है कि उक्त कॉलेजों में मनमाने तरीके से शुल्क वसूल किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं।

शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक मनमाने शुल्क वसूल किये जाने के सम्बन्ध में गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय तथा शासन स्तर पर कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के देवलथल में भारत रिफैक्ट्रीज लि0 कम्पनी के लिए अधिग्रहीत की गई 500 नाली भूमि पर स्वामित्व का विवरण

*11–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के देवलथल में वर्ष 1980–81 में मैग्नेसाइट के दोहन हेतु भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड नामक कम्पनी की स्थापना की गयी थी?

क्या यह सत्य है कि आज तक उक्त स्थान पर यह कम्पनी स्थापित नहीं हुई है?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में इस कम्पनी के लिए अधिग्रहीत की गई लगभग 500 नाली भूमि पर किसका स्वामित्व है?

क्या सरकार उक्त भूमि को विक्रेता काश्तकार को तत्समय भूमि दरों पर वापस करने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

कम्पनी द्वारा मैग्नेसाईट के दोहन हेतु अस्थाई रूप से टिनशेड बनाकर कार्यालय खोला गया था जो वर्ष 1992 में बन्द कर दिया गया था।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार पटवारी क्षेत्र देवलथल के ग्राम लोहाकोट के ज0वि0 खतौनी संख्या–119 में 5.650 हे0 भूमि दर्ज है, जिसमें कुल 468 खसरा नम्बर

हैं तथा पटवारी क्षेत्र बमडोली के ग्राम भण्डारीगाँव में Z.A खतौनी खाता संख्या–30 में 1.057 हे0 भूमि दर्ज है, जिसमें 95 खसरा नं0 स्थित है। अभिलेखों के अनुसार उपरोक्त भूमि का स्वामित्व भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड नामक कम्पनी का है। उक्त भूमि पर काश्तकारों का छुट–पुट कब्जा बना हुआ है। शेष भूमि मौके पर बंजर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थाई राजधानी निर्माण हेतु 12वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि एवं निर्माण कार्य की समय सीमा

*12–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 12वें वित्त आयोग से स्थाई राजधानी निर्माण हेतु धनराशि प्राप्त हुई है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त धनराशि से प्रदेश की स्थाई राजधानी, चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित कर वहाँ पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवायेगी?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि 12वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के व्यय की कोई समय सीमा तय है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

सम्प्रति, जी नहीं।

12वाँ वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि 31 मार्च, 2010 तक व्यय की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तराखण्ड में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के औद्योगिक आस्थानों का हस्तांतरण

*13–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के औद्योगिक आस्थान संचालित हो रहे हैं?

यदि हाँ, तो यह आस्थान कब तक उत्तराखण्ड सरकार को हस्तांतरित हो जायेंगे?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सूखे से निपटने हेतु किये गये प्रयास

*14–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए क्या–क्या उपाय किये गये हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

राज्य में उत्पन्न सूखे की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों में सूखे से हुई फसलों की क्षति का आकलन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराया गया। 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति वाली तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुये किसानों के भू–राजस्व, सिंचाई जैसे विविध देयों की वसूली तथा उत्पीड़नात्मक कार्यवाही स्थगित कर दी गयी।

कृषि इनपुट सब्सिडी के अन्तर्गत कुल रू0 325 लाख व पेयजल संकट से निपटने के लिये रू0 245 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

भारत सरकार से केन्द्रीय राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने की मांग की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के विकल्पधारियों को प्राप्त लीज़रेन्ट की सुविधा तथा आवंटित सरकारी आवास की सूची

*15–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से विकल्प के आधार पर आये समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को लीजरेंट अनुमन्य किया गया?

यदि हाँ, तो उक्त श्रेणी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध होने वाले सरकारी आवासों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान की गई?

यदि नहीं, तो क्यों तथा शेष ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक सरकारी आवास आवंटित नहीं हुए हैं, क्या सरकार इनकी सूची सदन के पटल पर रखेगी?

क्या सरकार लीजरेन्ट के कोष को कम करने की दृष्टि से इन अधिकारियों/कर्मचारियों को यथाशीघ्र आवास आवंटित करेगी?

यदि नहीं, तो इसमें क्या विधिक कठिनाईयाँ हैं?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड सचिवालय/विधान सभा सचिवालय एवं राजभवन में विकल्प के आधार पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनकी सेवाएं अस्थानान्तरणीय थी, को लीजरेंट की सुविधा अनुमन्य कराई गई थी।

जी, हाँ।

वर्तमान में सचिवालय एवं राजभवन सेवा संवर्ग के लीजरेंटधारी कार्मिकों में से आवास आंवटन हेतु इच्छुक सभी कार्मिकों को आवास आवंटित किया जा चुका है।

सचिवालय एवं राजभवन सेवा संवर्ग के किसी कार्मिक को वर्तमान में लीजरेंट का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड सचिवालय में अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव के समकक्ष संवर्ग पदधारकों को भी वेतनमान की समकक्षता प्रदान न करने का औचित्य

*16–श्री केदार सिंह रावत, श्री प्रीतम सिंह, श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासनादेश संख्या–77/XXVII(7)/2009, दिनांक 01 मार्च, 2009 में वर्णित अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/समकक्ष संवर्ग पदों के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड सचिवालय में किन–किन पदों को समकक्ष माना गया है तथा समकक्षता निर्धारित करने के क्या मानक है?

क्या यह सत्य है कि राज्य के गठन के समय से तथा पूर्ववर्ती राज्य में अनुभाग अधिकारी तथा निजी सचिव के वेतनमान के समकक्ष रहे अनेक पदों को उक्त शासनादेश जारी हो जाने के उपरान्त समकक्षता प्रदान नहीं की गयी है?

यदि हाँ, तो इस विभेद का विधिक आधार तथा औचित्य क्या है?

क्या सरकार अनुभाग अधिकारी तथा निजी सचिव के वेतनमान के समकक्ष रहे पदधारकों को भी वेतनमान की समकक्षता प्रदान करेगी?

यदि नहीं, तो इसमें विधिक कठिनाई क्या है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

उत्तराखण्ड सचिवालय के अनुभाग अधिकारी एवं निजी सचिव की केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी एवं निजी सचिव के पदों से समकक्षता स्थापित है। पदों

की समकक्षता के मानक समान अर्हता, भर्ती का स्रोत, चयन प्रक्रिया कार्य एवं दायित्व तथा कार्यक्षेत्र हैं।

उपरोक्तानुसार समकक्षता स्थापित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

समता समिति (1986) द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पदों की समकक्षता पूर्व से स्थापित नहीं है।

उत्तराखण्ड सचिवालय में अनुभाग अधिकारी तथा निजी सचिव की सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश के आधार पर तथा वेतन की समानता केन्द्रीय सचिवालय के समनुरूप लाभ दिये जाने का आधार

*17–श्री केदार सिंह रावत, श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड सचिवालय में अनुभाग अधिकारी तथा निजी सचिव के पदधारकों की सेवा शर्त तो पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में विद्यमान सेवा शर्तों के अनुरूप निर्धारित की गयी है, किन्तु उनको वेतन की समानता केन्द्रीय सचिवालय के समनुरूप पदधारकों के अनुसार प्रदान की गयी है?

यदि हाँ, तो उक्त पदधारकों को विशिष्ट रूप से विशेष लाभ दिये जाने का औचित्य क्या है, जबकि उक्त संवर्ग से भिन्न पदों के सन्दर्भ में पूर्ववर्ती राज्य में विद्यमान सेवा शर्तों तथा सेवा लाभ का आधार लिया जाता है?

क्या सरकार ऊपरिवर्णित संवर्गों से भिन्न संवर्गों के पदों के सन्दर्भ में भी समान दृष्टिकोण अपनायेगी?

यदि नहीं तो इस प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न किये जाने का क्या औचित्य है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

वेतन समिति (2008–2009) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुति के आधार पर वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार उक्त पदधारकों को लाभ प्रदान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय सचिवालय में विभिन्न संवर्गों के पदों के सृजन के निर्धारित मानक तथा पदवार विवरण

*18–श्री केदार सिंह रावत, श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय सचिवालय में विभिन्न संवर्गों के पदों के सृजन के मानक निर्धारित किये गये हैं?

यदि हाँ, तो कब और पदवार उनका विवरण क्या है?

क्या राजकीय सचिवालय का ढांचा निर्धारित मानकों के आधार पर बनाया गया है?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी राजकीय सचिवालय का स्वरूप संवर्गीय पदों के बंटवारे सहित सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

विवरण संलग्न है। †

जी हाँ।

जी हाँ, विवरण संलग्न है। †

प्रश्न नहीं उठता

प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त करने हेतु कार्यवाही

*19–श्री प्रीतम सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने के लिये सरकार द्वारा कोई विशेष कार्यवाही की जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

प्रदेश पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त बनाने हेतु निम्न लिखित कार्यवाही की गयी है:–

---

† (विवरण देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 80 से 83 पर)

1–राज्य के 28 थानों में विशिष्ट विवेचना पुलिस का गठन किया गया है। जिनका प्रमुख कार्य गम्भीर अपराधों की वैज्ञानिक तरीके से उच्च स्तरीय विवेचना करके त्वरित निस्तारण करना है।

2–सामुदायिक पुलिस का गठन कर बीट सिस्टम लागू कर प्रत्येक बीट में बीट अधिकारी की नियुक्ति की गई है। बीट अधिकारी बीट के निवासियों से समन्वय स्थापित कर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराध अनावरण में सहयोग करते हैं।

3–राज्य के सभी जनपदों में जनपद स्तर पर सामुदायिक पुलिस का गठन किया गया है।

4–किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना से निपटने के लिये सभी जनपदों में त्वरित कार्यवाही दल की स्थापना की गई है। जिन्हें किसी भी स्थिति से निपटने हेतु तैनात किया गया है।

5–जनपदीय पुलिस प्रमुखों द्वारा प्रत्येक माह अपराध गोष्ठी कर थानों में अपराधों की स्थिति की समीक्षा की जाती है तथा अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

6–पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा प्रत्येक माह वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर प्रत्येक जनपद की अपराध स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश पारित किये जाते हैं।

7–समय–समय पर पृथक–पृथक अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान संचालित किये जाते हैं।

8–बाहरी व्यक्तियों/छात्रों/फेरी लगाने वालों आदि के सत्यापन का कार्य नियमित रूप से प्रचलित है।

9–प्रत्येक जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त बनाये जाने हेतु स्पेशल आपरेशन ग्रुप एवं राज्य स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स एवं स्पेशल आपरेशन टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जले विद्युत ट्रान्सफार्मर व टूटे विद्युत पोल बदले जाने का प्राविधान

*20–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत ट्रान्सफार्मर जल जाने व विद्युत पोल के टूटने पर सूचना देने के कितने समय में बदलने का प्राविधान है?

क्या यह सत्य है कि विद्युत विभाग द्वारा ट्रान्सफार्मर जलने व विद्युत पोल टूटने की सूचना देने के उपरान्त भी उस पर महीनों तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है?

क्या सरकार ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि जले हुऐ ट्रान्सफार्मर अथवा टूटे हुए बिजली के खम्भे समयबद्ध तरीके से बदले जाएँ?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत ट्रान्सफार्मर सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे तथा विद्युत पोल टूटने की सूचना प्राप्त होने के 12 घंटे के अन्तर्गत बदलने का प्राविधान है।

प्रायः ट्रान्सफार्मर एवं पोल समयान्तर्गत बदले जाते हैं, किन्तु कतिपय प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण यदाकदा विलम्ब होना स्वाभाविक है।

समयबद्ध रूप से इसकी व्यवस्था की गई है।

प्रत्येक 33 के0वी0 उपसंस्थान में अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर एवं खम्भे रखे जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में वर्ष 2007 में दैवीय आपदा से प्रभावित भवनों/सिंचाई गूल आदि हेतु आपदा प्रबन्धन कार्यों के अन्तर्गत चलाई गयी ट्रीटमैन्ट योजना

1–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि वर्ष 2007 में दैवी आपदा, अतिवृष्टि एवं भू–स्खलन से विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में 117 ग्रामों में कई भवन पूर्णतः/तीक्ष्ण रूप से/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये व 43 ग्रामों की 14.711 हेक्टेयर कृषि भूमि, पैदल मार्ग/सम्पर्क मार्ग, पेयजल लाईनें एवं सिंचाई गूल क्षतिग्रस्त हुयी थीं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन कार्यों के अन्तर्गत ट्रीटमेन्ट योजना चलाई गई?

यदि हाँ, तो अब तक कितने प्रभावित भवनों/मार्गों, सिंचाई गूलों/पेयजल योजनाओं का ट्रीटमेन्ट किया गया?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ। वर्ष 2007 में विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में अतिवृष्टि एवं भूस्खलन से 117 ग्राम प्रभावित हुए, जिसमें 15 मकान पूर्णतः, 98 मकान तीक्ष्ण रूप से एवं 89

मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। गृह अनुदान के रूप में रू0 6,93,500/– की धनराशि वितरित की गई।

43 गाँवों की कुल 14.711 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई, जिसके अंतर्गत 183 काश्तकारों को रू0 72,726/– की धनराशि वितरित की गई है। अनुग्रह अनुदान एवं अहेतुक सहायता के रूप में क्रमशः रू0 32,000/– एवं रु0 14,000/– की धनराशि वितरित की गई है।

जी हाँ।

पेयजल की 66 योजनाओं हेतु रू0 69.21 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसके सापेक्ष सभी कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं। सम्पर्क मार्गों की मरम्मत हेतु 53 योजनाओं हेतु रू0 49.60 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसके सापेक्ष 23 कार्ययोजनाओं पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 30 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा सड़कों की मरम्मत की 13 कार्ययोजनाओं के लिए रू0 26.28 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसके सापेक्ष 01 योजना पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 12 योजनाओं पर कार्य गतिमान है।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में कुल 103 कार्ययोजनायें स्वीकृत की गईं। जिसके सापेक्ष 01 कार्ययोजना निरस्त कर दी गई है, 39 कार्ययोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष पर कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून स्थित सहस्रधारा रोड में 11 के0वी0 बालावाला फीडर को हटाने हेतु तैयार दो आगणनों में विसंगति के कारण

2–चौ0 यशवीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सहस्रधारा रोड में 11 के0वी0 बालावाला फीडर को हटाने के लिए विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण) देहरादून के पत्रांक–5426/वि0वि0ख0(ग्रा0)/अनुबन्ध, दिनांक 09.08.07 तथा पत्रांक–3622–ईडीडी–/यू0पी0सी0एल0 दिनांक 15.07.08 द्वारा तैयार किये गये दो आगणनों का पूरा ब्योरा क्या है तथा आगणन विसंगति के क्या कारण हैं?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विधायक निधि से किस आगणन के आधार पर क्या–क्या कार्य किया गया?

क्या मंत्री जी पूरा विवरण उपलब्ध करायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), देहरादून के पत्र दिनांक 09.08.2007 तथा दिनांक 15.07.2008 द्वारा तैयार किये गये दो आगणन क्रमशः रू0 1,95,135.00 एवं रू0 96.126.00 का है। आगणन का सम्पूर्ण विवरण मात्र सदन के पटल पर मा0 सदस्यों के अवलोकनार्थ रखा गया है। दोनों आगणनों में लाइन का मार्ग अलग–अलग होने के कारण खम्भों एवं अन्य सामग्रियों में भिन्नता है, अतः आगणनों में भी भिन्नता दृष्टिगोचर हो रही है।

अपेक्षित धन प्राप्त न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के बहेड़ाखाल में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का निर्माण

3–श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान बहेड़ाखाल में विभाग का निरीक्षण भवन कब स्वीकृत हुआ और इसके निर्माण हेतु निविदाऐं आमंत्रित कर कब स्वीकृत की गई हैं?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अनुबन्ध कब किया गया, अनुबन्ध बिलम्ब से किये जाने के कारण क्या हैं तथा निरीक्षण भवन का निर्माण कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान बहेड़ाखाल में लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन दिनांक 20–11–2006 को स्वीकृत हुआ और इसके निर्माण हेतु दिनांक 21–02–2008 को निविदा आमंत्रित की गयी तथा दिनांक 07–11–08 को निविदा स्वीकृत की गयी।

अनुबन्ध दिनांक 17–11–2008 को गठित किया गया, भूमि की रजिस्ट्री विलम्ब से होने के कारण अनुबन्ध के गठन में विलम्ब हुआ।

निरीक्षण भवन का निर्माण पूर्ण किये जाने हेतु माह अप्रैल, 2010 का लक्ष्य रखा गया है।

जनपद पौड़ी में सतपुली व्यासघाट तक 11 के0वी0 विद्युत लाईन के त्रुटिपूर्ण निर्माण में की गई कार्यवाही एवं परिणामों का विवरण

4–श्रीमती अमृता रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री विधान सभा के तृतीय सत्र 2008 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर के क्रम में बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में

सतपुली व्यासघाट तक 11 के0वी0 विद्युत लाइन के त्रुटिपूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में सतपुली से व्यासघाट तक 11 केवी लाईन का निर्माण ग्राम धनियार कैंडुल होते हुए चोपड़ा तक मिलाया गया है, जिस पर कई अन्य ग्राम जुड़े हैं। अतः निर्माण त्रुटिपूर्ण नहीं पाया गया।

पौड़ी अन्तर्गत बीरोंखाल में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों एवं पुश्तों के पुनर्निर्माण हेतु प्रदत्त आर्थिक सहायता का विवरण

5–श्रीमती अमृता रावत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल, पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों एवं पुश्तों के पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विशेष कार्याधिकारी मुख्यमंत्री के पत्र संख्या–VIP/9670/XXXV-1/2008(2) दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 पर प्रमुख सचिव आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन एवं जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण क्या है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ। शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को संदर्भित किया गया। तद्क्रम में जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:–

1–सूची के क्र0 08 में अंकित श्री रणजीत सिंह, ग्राम सिसंई बीरोंखाल के मकान के सम्बन्ध में पटवारी की जाँच आख्या के अनुसार श्री रणजीत सिंह का मकान दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त होना नहीं पाया गया है, जिस कारण इन्हें दैवीय आपदा मद से राहत राशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

2–सूची के क्र0 12 में अंकित श्री प्रेमसिंह, ग्राम घनस्याली पट्टी खाटली के क्षतिग्रस्त भवन के सम्बन्ध में पटवारी की आख्या के अनुसार उक्त मकान दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, जिस कारण इन्हें दैवीय आपदा मद से राहत राशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

3–ग्राम जिवई, बंगारस्यूँ के तीन मकानों के लिये दैवीय आपदा में आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में तहसीलदार की आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार ग्राम जिवई के बचनसिंह, पुत्र चैत सिंह के मकान पर अतिवृष्टि/दैवीय आपदा से कोई दरारें अथवा क्षतिग्रस्त होना नहीं पाया गया है। आवेदक द्वारा अपने आंगन के पुश्ते की मरम्मत कर नया बनाया गया है। पुश्ता क्षतिग्रस्त होना दैवीय आपदा के अन्तर्गत नहीं आता है। इस हेतु इन्हें कोई राहत राशि दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

श्रीमती धनेश्वरी देवी पत्नी श्री अमर सिंह, ग्राम जिवई का 06 कमरे का आवासीय मकान मुख्य मार्ग जिवई बाजार में है, जिस पर वे विगत 06–07 वर्षो से रह रहे हैं, जो किसी प्रकार की दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। इन्हीं का एक 05 कमरे का आवासीय मकान गांव में भी स्थित है जो विगत 06–07 वर्षो से अनावासीय है, जिसमें कोई नहीं रहता है। भवन पुराना जीर्ण–क्षीर्ण होने से इस मकान की छत टूटी हुई है, जो किसी प्रकार की दैवीय आपदा से नहीं टूटी है। अतः इन्हें दैवीय आपदा मद से राहत राशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र रेवत सिंह ग्राम जिंवई का आवासीय मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। क्षेत्रीय पटवारी से जाँच करवाने पर यह पाया गया कि आवेदक की गौशाला की बल्लियाँ टूटी हुई हैं। गौशाला काफी जीर्ण–क्षीर्ण अवस्था में थी। गौशाला में किसी भी जानवर के घायल होने अथवा मरने की पुष्टि नहीं हुई है, जिस कारण इन्हें दैवीय आपदा मद से राहत राशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

4–उल्लिखित प्रकरण में जीप दुर्घटना जीप संख्या–एच0आर012/9731 दिनांक 03.09.2007 को ग्राम कन्दोला के पास रात्रि करीब 10 बजे अनियन्त्रित होकर सड़क से नीचे खेत में जा गिरी, जिसमें चालक श्री सुशील गोनियाल पुत्र आदित्यराम, ग्राम मेठाणा एवं श्री सुनील सिंह नेगी पुत्र श्री दरबान सिंह ग्राम सिन्दूड़ी घायल हो गये थे। जीप में केवल दो ही व्यक्ति मौजूद थे, जिनकी किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट एवं सूचना पट्टी पटवारी को नहीं दी गई और न ही जीप मालिक श्रीमती जसोदा देवी ग्राम मेठाणा के द्वारा कोई रिपोर्ट लिखवाई गई। श्रीमती जसोदा देवी ने अपने बयान में इस बात का उल्लेख किया है। इसी प्रकार श्री सुनील सिंह नेगी द्वारा भी अपने बयान में लिखा गया है कि वे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते हैं और न ही कोई आर्थिक सहायता चाहते हैं।

श्री यशपाल सिंह नेगी पुत्र श्री रघुनाथ सिंह ग्राम मानपुर, कोटद्वार, पौड़ी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित आर्थिक राहत का निस्तारण

6–श्रीमती अमृता रावत–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री यशपाल सिंह नेगी पुत्र श्री रघुनाथ सिंह, ग्राम मानपुर (पवेत्री प्रेरणा) कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल को उनके पिता की मृत्यु के उपरान्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित आर्थिक राहत के भुगतान के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सम्बोधित उत्तराखण्ड शासन के गृह अनुभाग–5 के पत्र संख्या–97/XX(5)08/27 स्व0सं0से0/06 दिनांक 18.01.08, पत्र सं0 401/XX(5)08/27 स्व0सं0से0/06 दिनांक 21.7.08 तथा पत्र सं0 19/XX(5)08/27 स्व0सं0से0/06 दिनांक 23 जनवरी, 2009 पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है तथा कब तक इस प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री रघुनाथ सिंह पुत्र स्व0 श्री दीवान सिंह, निवासी ग्राम काण्डा, पो0औ0 बौसाल को आर्थिक सहायता के रूप में रू0–20,000/– (बीस हजार) स्वीकृत किये गये थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रघुनाथ सिंह का निधन होने के कारण स्वीकृत धनराशि का ड्राफ्ट मूल रूप में वापस लौटाया गया है। वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार प्रदेश के जीवित पेंशन प्राप्तकर्ता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं परिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता आश्रितों को ही केवल आर्थिक राहत/सहायता अनुमन्य है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों/पुत्रों को आर्थिक सहायता अनुमन्य किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्त प्राविधानों के दृष्टिगत् प्रश्नगत प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत निर्मित पटवारी चौकियां तथा सम्बन्धित पटवारियों के स्थापित कार्यालय

7–श्रीमती अमृता रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसी कौन–कौन सी निर्मित पटवारी चौकियां हैं जिन पर सम्बन्धित पटवारियों द्वारा अभी तक अपना कार्यालय/मुख्यालय स्थापित नहीं किया गया है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इसके क्या कारण हैं तथा कब तक इन निर्मित चौकियों पर सम्बन्धित पटवारियों के कार्यालय स्थापित कर दिये जायेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में निर्मित पटवारी चौकियाँ, जिनमें पटवारियों द्वारा कार्यालय/मुख्यालय स्थापित नहीं किये गये हैं, का विवरण निम्नानुसार है:–

तहसील सतपुली–खैरासैंण, संगलाकोटी, केशरपुर, बौंसल।

तहसील धुमाकोट–इडियाकोट तला, नैनीडांडा दिगोलीखाल, खिरैरीखाल, पीपली।

तहसील थलीसैंण–पैठाणी, कोटिला, जोगीमढ़ी, नऊ, तरपालीसैंण।

तहसील कोटद्वार–बौठा, बल्ली, नाली बडोली, काण्डाखाल।

तहसील लैन्सडौन–पुल्यासू, निंगालपानी–1, रिंगापानी–2, कण्डखणी, द्वारी टकोलीखाल, बयालातला, जयहरीखाल।

तहसील यमकेश्वर– कस्याली, थनूर बिथ्याणी बडोली छोटी, तिलधारखाल, बणास, फल्दाकोट, मोहनचट्टी, गैण्ड, बमोडगाँव।

तहसील पौड़ी–सीरों, बडियारगाँव, पलोटा, बलमणा, कालेश्वर, मल्ली,घण्डियाल, फिरोजपुर, भटकोट, कोलू, बिडोली।

तहसील चौबट्‌टाखाल–सुन्दरई, सैधार।

तहसील श्रीनगर–स्वीत, हुलेगीखाल।

पटवारी चौकियों के निर्माण की गुणवत्ता सही न होने एवं जल–विद्युत संयोजन आदि पूर्ण न होने के कारण चौकियों पर पटवारी कार्यालय/मुख्यालय स्थापित नहीं किये जा सके हैं। पटवारी चौकियों पर उपरोक्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पटवारी कार्यालय/मुख्यालय स्थापित किये जायेंगे।

प्रदेश में विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बिस्कुट तथा पुष्टाहार की आपूर्ति प्रदेश के बाहर के उत्पादक एजेन्सी से करवाये जाने का कारण

8–श्रीमती अमृता रावत–

क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत इण्डिया मिक्स एवं बिस्कुट तथा पुष्टाहार की आपूर्ति प्रदेश के बाहर के उत्पादकों/एजेन्सियों से करवाई जा रही है?

यदि हाँ, तो कब से यह आपूर्ति प्रदेश के बाहर की संस्थाओं/उत्पादकों से करवाई जा रही है और अब तक प्रदेश में कितने मूल्य की आपूर्ति की जा चुकी है तथा क्या भविष्य में यह आपूर्ति प्रदेश के ही उत्पादकों/संस्थाओं द्वारा करवाए जाने की योजना है?

यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), (श्रीमती विजय बड़थ्वाल)–

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत अनुपूरक पोषाहार (इण्डिया मिक्स, बिस्कुट) की आपूर्ति संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के उत्पादकों/एजेन्सियों से करवाई जा रही है।

प्रदेश में अनुपूरक पोषाहार (इण्डिया मिक्स,बिस्कुट) की आपूर्ति वर्ष 2004 से करायी जा रही है तथा प्रदेश में अब तक रू0 5477.02 लाख मूल्य की आपूर्ति की जा चुकी है। भविष्य में प्रदेश में अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति कराये जाने की कार्ययोजना शासन की परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर के ग्राम पंचायत आगर एवं भिगांर्की मय भिन्नू क्षेत्र में पावर ग्रिड के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में उत्तरदायी संस्था के विरूद्ध कार्यवाही

9–श्री ओम गोपाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम पंचायत आगर एवं ग्राम पंचायत भिगांर्की मय भिन्नू की आबादी क्षेत्र में पॉवर ग्रिड की 02 हाईटेंशन लाईनें 765 के0वी0 टिहरी–मेरठ सर्किट–01 तथा टिहरी–मेरठ–02 के निर्माण हेतु नियमानुसार ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहीत की गयी?

यदि नहीं, तो उक्त लाईनें जिनमें अब टिहरी जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पन्न विद्युत को पारेषित किया जा रहा है, नियम विरूद्ध नहीं है?

क्या सरकार उक्त हाईटेंशन लाईनों से ग्रामीणों के जान–माल की सुरक्षा हेतु उन्हें अन्यत्र पुनर्वासित करेगी एवं ग्रामीणों के विरोध के बाद भी बिना भूमि अधिग्रहण किये बल पूर्वक लाईनों के निर्माण हेतु उत्तरदायी संस्था के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

ग्राम सभा आगर एवं ग्राम सभा भिगांर्की में हाईटेंशन विद्युत लाईनों का निर्माण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 एवं 164 के साथ भारतीय टेलिग्राफ एक्ट, 1985 भाग–5 के अन्तर्गत किया गया है, जिसके अनुसार लाईन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्राविधान नहीं है।

जी नहीं।

ग्रामीणों की सुरक्षा की दृष्टि से उक्त दोनों लाईनों के टावरों की ऊँचाई 42 मी0 रखी गई है, जिससे खतरा सम्भावित नहीं है। पारेषण लाईन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्राविधान न होने के कारण ग्रामीणों के पुनर्वासित करने एवं संस्था के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तानुसार।

ऊधमसिंह नगर के पन्तनगर स्थित सिडकुल क्षेत्र के मार्गों के निर्माण पर व्यय तथा रख–रखाव हेतु आवंटित धनराशि

10–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ऊधमसिंहनगर के पन्तनगर में स्थित सिडकुल क्षेत्र में कितने किमी0 मार्गों का निर्माण किया गया है तथा इसमें कितनी लागत आयी है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन मार्गों के रखरखाव एवं जलभराव आदि रोकने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

ऊधमसिंहनगर के पन्तनगर के स्थित सिडकुल क्षेत्र में 34.86 किमी0 मार्गों का निर्माण किया गया है तथा इसमें रूपये 131.84 करोड़ की लागत आयी है।

इन मार्गों के रखरखाव एवं जलभराव आदि रोकने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष रूपये 55.00 लाख धनराशि की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र पन्तनगर–गदरपुर में निर्मित मार्गों की मरम्मत का प्रस्ताव

11–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रान्तीय लोक निर्माण खण्ड रुद्रपुर द्वारा विधान सभा क्षेत्र पन्तनगर–गदरपुर में निर्मित कौन–कौन से मार्गों की मरम्मत का कार्य प्रस्तावित है?

क्या सरकार द्वारा इस वर्ष सभी मरम्मत योग्य मार्गों की मरम्मत कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

प्रान्तीय लोक निर्माण खण्ड रुद्रपुर द्वारा विधान सभा क्षेत्र पन्तनगर–गदरपुर में निर्मित 22 मार्ग (संलग्न सूची के अनुसार) † मरम्मत हेतु प्रस्तावित हैं।

उक्त मार्गों के मरम्मत का कार्य माह मार्च, 2010 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

गैंडीखाता लालढांग से रामनगर वाया कोटद्वार कालागढ़ मोटर मार्ग का निर्माण

12–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गैंडीखाता लालढांग से कोटद्वार होते हुए रामनगर तक का मोटर मार्ग बनकर तैयार हो चुका है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार गैंडीखाता से रामनगर तक उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश की सीमा के मध्य पड़ने वाली कंडी रोड पर मोटर मार्ग निर्मित किये जाने पर विचार करेगी?

(† विवरण देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 84–85 पर)

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं।

गैंडीखाता से रामनगर तक उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश की सीमा के मध्य प्रस्तावित कोटद्वार–कालागढ़–रामनगर मोटर मार्ग लम्बाई 88.00 किमी0 की स्वीकृति शासनादेश सं0–80/III–2/08–88(एक्यू)/03 दिनांक 11 मार्च, 2008 के द्वारा लागत रू0 375.32 करोड़ की प्रदान की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के पालिटेक्निक संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानकानुसार अध्यापकों की नियुक्ति

13–काजी मौ0 निजामुद्दीन–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राज्य के पालिटेक्निक संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुरूप प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों की भारी कमी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पालिटेक्निक संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जी हाँ।

राजकीय पालीटेक्निकों के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों (व्याख्याताओं) के पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है तथा रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड राज्य को केन्द्र द्वारा गठित उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास हेतु अलग मंत्रालय में सम्मिलित करने हेतु प्रयास

14–काजी मौ0 निजामुद्दीन–

क्या सामान्य प्रशासन मंत्री अवगत हैं कि केन्द्र में देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास हेतु अलग मंत्रालय गठित है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को केन्द्र द्वारा गठित मंत्रालय में सम्मिलित करने हेतु कोई प्रयास किया गया है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में नहीं आता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी की विवादास्पद एवं अपूर्ण पटवारी चौकियों का विवरण

15–श्रीमती अमृता रावत–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत ऐसी अनेक निर्माणाधीन पटवारी चौकियां हैं जिनका निर्माण एक लम्बी अवधि से विवादास्पद है और चौकियां अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण स्थिति में हैं?

यदि हाँ, तो ऐसी पटवारी चौकियों का विवरण क्या है तथा कब तक इन चौकियों का अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

जिला पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत तहसील सतपुली में 2, तहसील धुमाकोट में 12, तहसील थलीसैंण में 7, तहसील कोटद्वार में 8, तहसील लैंसडाउन में 3, तहसील यमकेश्वर में 5, तहसील पौड़ी में 8 एवं तहसील चौबट्टाखाल में 11 पटवारी चौकियां अपूर्ण है। इन चौकियों को निर्माण कार्य त्वरित गति से पूर्ण कराये जाने हेतु सम्बन्धित निर्माण इकाईयों को निर्देश दिये गए हैं। यह निर्माण कार्य यथा शीघ्र पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत पन्तनगर–गदरपुर में ट्रान्सफार्मरों का उच्चीकरण

16–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत पंतनगर–गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान गर्मी के मौसम को देखते हुए कितने ट्रान्सफार्मरों को उच्चीकृत किये जाने की आवश्यकता है।

तथा कब तक ये ट्रान्सफार्मर उच्चीकृत कर दिये जायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

पंतनगर–गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में 10 नं0 परिवर्तकों के उच्चीकरण करने की आवश्यकता है।

उक्त परिवर्तकों में से 04 परिवर्तकों का उच्चीकरण कर दिया गया है, शेष परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता है।

17–श्रीमती अमृता रावत–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद नैनीताल के थाना भीमताल के सीमा विस्तार की शासन के विचाराधीन कार्यवाही का विवरण

18–श्री खड़क सिंह बोहरा–

क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत थाना भीमताल के सीमा विस्तार की कोई कार्यवाही शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

प्रकरण सम्प्रति विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के बेतालघाट में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

19–श्री खड़क सिंह बोहरा–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के पिछड़े एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र बेतालघाट में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

महाविद्यालय की स्थापना मानकानुसार की जाती है। वर्तमान में बेतालघाट क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालय रामनगर एवं राजकीय महाविद्यालय रानीखेत उपलब्ध हैं।

जनपद नैनीताल स्थित कलशा नदी पर मलुवाताल स्थान पर स्वीकृत झूला पुल के निर्माण कार्य की प्रगति

20–श्री खड़क सिंह बोहरा–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल स्थित कलशा नदी में मलुवाताल नामक स्थान पर एक झूला पुल स्वीकृत हुआ था?

यदि हाँ, तो उक्त पुल के निर्माण में वर्तमान तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पुल के निर्माण कार्य की प्रगति क्या है एवं कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

माह मार्च, 2003 तक इस पुल के निर्माण में रूपये 7.75 लाख का व्यय हुआ है।

पुल के एक एवटमेन्ट का कार्य पूर्ण है। अवशेष कार्यों हेतु वर्तमान दरों पर आगणन गठित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट तथा गोविन्द बल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज पौडी में रिक्त प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति

21–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज–द्वाराहाट (अल्मोड़ा) तथा गोविन्द बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज–पौडी

(पौड़ी–गढ़वाल) में प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के रिक्त पदों की अद्यतन स्थिति क्या है तथा इन कॉलेजों में रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर ली जायेगी ?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

दोनों कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति कर दी गई है।

जी.बी पन्त इंजी0 कॉलेज पौड़ी में शिक्षकों के विभिन्न श्रेणी के कुल 49 तथा कुमाऊँ इंजी0 कॉलेज में शिक्षकों के विभिन्न श्रेणी के कुल 24 पद वर्तमान में रिक्त हैं।

रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही हेतु दोनों संस्थाओं द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराया जा चुका है।

कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट में सिविल व इलैक्ट्रिकल इंजिनियरिंग में बी0 टैक तथा एम0 टैक खोले जाने की स्वीकृति

22–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट (अल्मोड़ा) में सिविल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी0 टैक तथा पूर्व में चल रहे सभी प्रशिक्षणों में एम0टैक खोले जाने की स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

नये तकनीकी पाठ्यक्रम खोले जाने की स्वीकृति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जाती है। संस्था द्वारा सिविल इंजी0 एवं इलैक्ट्रिकल इंजी0 पाठ्यक्रमों को संस्था में प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को भेजा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग में अवर, सहायक, अधिशासी, अधीक्षण तथा मुख्य अभियन्ताओं के कुल स्वीकृत पद व रिक्त पद

23–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता, अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ताओं के कितने पद रिक्त हैं तथा कितने पद स्वीकृत हैं?

सरकार कब तक नियमित अभियन्ताओं की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अभियन्ताओं के स्वीकृत तथा रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है:–

पदनाम	स्वीकृत पर	रिक्त पद
मुख्य अभियन्ता स्तर–1	01	01
मुख्य अभियन्ता स्तर–2	02	01
अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	12	04
अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0)	02	02
अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	71	55
अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0)	05	04
सहायक अभियन्ता (सिविल)	297	98
सहायक अभियन्ता (वि0/यां0)	26	08
कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	792	269
कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	40	09
कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	58	38
कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	81	20

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 में प्राविधानों के अनुसार विभागान्तर्गत संयुक्त ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। संयुक्त ज्येष्ठता सूची निर्गत होने के उपरान्त पदोन्नति के पदों पर नियमित नियुक्तियां की जायेंगी। इसके अतिरिक्त सीधी भर्ती के पदों पर नियमित नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी है। इस निमित्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक एवं प्राविधिक) के सीधी भर्ती के पदों का संशोधित अधियाचन दिनांक 08.05.2009 को लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है तथा सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) के रिक्त पदों का संशोधित अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में उद्यान विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं तथा ब्लॉक भिक्यासैंण स्याल्दे एवं सल्ट में उद्यान हेतु दिया गया ऋण

24–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में उद्यान विभाग द्वारा कौन–कौन सी योजनायें चलायी जा रही हैं?

क्या उद्यान मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के ब्लॉक भिक्यासैंण, स्याल्दे एवं सल्ट में विभाग द्वारा उद्यान लगाने हेतु वर्ष 2007–08 व वर्ष 2008–09 में कुल कितने लोगों को ऋण/अनुदान दिया गया है?

उद्यान मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

जनपद अल्मोड़ा में उद्यान विभाग द्वारा निम्न योजनायें चलायी जा रही हैं:–

जिला सैक्टर	(1) अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों मे औद्यानिक विकास। (2) फल सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण करने की योजना। (3) उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन एवं चयनित क्षेत्रों में फल पट्टियों का विकास।
राज्य सैक्टर	(1) सघन बेमौसमी सब्जी उत्पादन (एस.सी.एस.पी.)। (2) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, एपीडा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड आदि की योजनाओ पर 20% राज्यांश। (3) बाजार हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन। (4) उद्यानों की घेरबाड़ योजना। (5) मेहल एवं अन्य फलों में ढांचा रोपण।
केन्द्र पोषित योजना।	हार्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन योजना।

उद्यान विभाग द्वारा जनपद अल्मोड़ा के ब्लाक भिक्यासैंण, स्याल्दे एवं सल्ट में केन्द्र पोषित हार्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में क्रमशः 25, 41 एवं 52 लोगों को तथा वर्ष 2008–09 में क्रमशः 08, 15 एवं 17 लोगों को उद्यान लगाने हेतु अनुदान दिया गया है।

इसके अतिरिक्त जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में ब्लॉक स्याल्दे एवं सल्ट में क्रमशः 02 एवं 05 लोगों को तथा वर्ष 2008–09 में ब्लॉक भिक्यासैंण, स्याल्दे एवं सल्ट में क्रमशः 06, 03 एवं 04 लोगों को उद्यान लगाने हेतु अनुदान दिया गया है।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट अन्तर्गत स्वीकृत सीमापानी–सीरा–कनोली–ढूंगधारा एवं कुकुछीना–गर्जिया–पैली मोटर मार्ग का निर्माण

25–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत सीमापानी–सीरा–कनोली–ढूंगधारा एवं कुकुछीना–गर्जिया–पैली मोटर मार्ग निर्माण हेतु टेण्डर हो चुका है?

यदि हाँ, तो कब और निर्माण की स्थिति क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। वनभूमि प्राप्त होने पर मोटर मार्ग निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत पाटकोट–जाख–वैनाली मोटर मार्ग का निर्माण

26–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद–अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा के अन्तर्गत स्वीकृत पाटकोट–जाख–बैनाली मोटर मार्ग निर्माण का टेण्डर हो चुका है?

यदि हाँ, तो कब और निर्माण की स्थिति क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

दिनांक 26–07–2008 को। स्वीकृत लम्बाई के 500 मीटर भाग में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोडा के राजकीय महाविद्यालय चौखुटिया का भवन निर्माण

27–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोडा जनपद के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय–चौखुटिया के भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है?

यदि हाँ, तो भवन निर्माण कब तक कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ

वन विभाग से संबंधित यथावश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त भूमि उपलब्ध होने पर ही भवन निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

सिडकुल के औद्योगिक आस्थानों में उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को दिया गया पदवार स्थायी रोजगार

28–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मार्च, 2005 से वर्तमान तक सिडकुल के औद्योगिक आस्थानों में उत्तराखण्ड के कितने मूल निवासियों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया गया है?

यदि हाँ, तो किन–किन पदों पर उन्हें रोजगार दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में उत्तराखण्ड के कुल 18,484 लोगों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

प्रबन्धकीय कार्मिक–2958

कुशल श्रमिक–7123

अकुशल श्रमिक–8403

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया के ग्रामों में विद्युतीकरण की स्थिति

29–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड–चौखुटिया में ग्राम सभा खजुरानी, चनौली, पाखाखरक, मल्ला गजार, तल्ला गजार में विद्युतीकरण हो चुका है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड चौखुटिया में तोक तल्ला गजार तक ग्रिड से विद्युत आपूर्ति है। शेष ग्राम/तोक अविद्युतीकृत हैं।

तल्ला गजार का विद्युतीकरण दिसम्बर, 1998 में किया गया है।

ग्राम सभा खजुरानी, चनौली, पाखाखरक तथा मल्ला गजार वन भूमि क्षेत्र के बाद पड़ते हैं, जिसे विद्युतीकृत किये जाने हेतु वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया गतिमान है।

स्वतंत्रता संग्राम सैनानी स्व0 श्री भवानी दत्त ग्राम घघलोडी, द्वाराहाट, अल्मोड़ा की कुर्क की गई जमीन पर पुनः कब्जा देने पर विचार

30–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सैनानी स्व0 श्री भवानीदत्त पुत्र स्व0 भोला दत्त तिवारी, ग्राम घघलोड़ी, तहसील द्वाराहाट, जनपद–अल्मोड़ा की पैतृक भूमि सरकारी ऋण अदा न किये जाने के कारण कुर्क कर ली गयी थी?

क्या यह सत्य है कि उनके द्वारा ऋण की अदायगी कर दिये जाने के बाद भी उक्त कुर्क जमीन उनके पुत्र श्री मोहन चन्द तिवारी के नाम दर्ज नहीं की गयी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त 20 नाली 08 मुट्ठी जमीन को उनके पुत्र के नाम दर्ज करते हुए कब्जा दिलायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ, स्व0 श्री भवानी दत्त द्वारा धनराशि जमा न किये जाने के कारण उनकी लगभग 20 नाली भूमि जिलाधिकारी के नाम दर्ज की गयी है।

उपरोक्त भूमि का कलैक्टर के नाम दर्ज होने और उसका अमलदरामद हो जाने के कारण श्री भवानीदत्त के उत्तराधिकारियों को अब भूमिधरी अधिकार दिया जाना सम्भव नहीं है। परन्तु यदि उनके उत्तराधिकारियों द्वारा गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अधीन पट्टे पर भूमि प्राप्त करने का आवदेन सक्षम प्राधिकारी से किया जाता है, तो उस पर नियमानुसार पात्रता के आधार पर विचार किया जा सकता है।

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट में पारकोट–जाख–बैनाली में विद्युतीकरण

31–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पारकोट–जाख–बैनाली में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है?

क्या इस क्षेत्र की ग्रामीण जनता बिजली से लाभान्वित हो रही है?

यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

ग्राम पारकोट का विद्युतीकरण वर्ष 1980, ग्राम जाख का विद्युतीकरण वर्ष1992 तथा ग्राम बैनाली का विद्युतीकरण मई, 2009 में किया गया है।

ग्राम पारकोट के तोक गुठगांव तथा ग्राम जाख के तोक तुष्यारी का विद्युतीकरण दिसम्बर, 2009 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में सूचना विभाग द्वारा समाचार एजेन्सियों की ली गई सेवा का आधार

32–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या सूचना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में सूचना विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में जनहित में (समाचार) फीचर एजेन्सियों की सेवायें ली गई हैं?

यदि हाँ, तो उनको उक्त वित्तीय वर्ष में कुल कितनी धनराशि दी गई है तथा उक्त फीचर एजेन्सियों के नाम क्या हैं एवं इनकी सेवायें किस आधार पर ली गई हैं?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

सूचना विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में किसी भी फीचर एजेन्सियों की सेवायें नहीं ली गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2009–2010 में उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश में पंजीकृत समाचार एजेन्सियों की सेवायें लिए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

33–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या सूचना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि समाचार फीचर एजेन्सियों को सरकार द्वारा जनहित में किये गये कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुँचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2009–10 ई0 में उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश में पंजीकृत समाचार फीचर एजेन्सियों की सेवायें ली जायेंगी?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

सूचना विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 में किसी भी फीचर एजेन्सियों की सेवायें लिये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0 में परिचालकीय वर्ग के कर्मचारियों की अवर अभियन्ता पद पर पदोन्नति

34–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0 ने परिचालकीय वर्ग के कर्मचारियों की अवर अभियंता पद हेतु दिनांक 29.07.2007 को आयोजित लिखित परीक्षा का दिनांक 05.03.2008 को परिणाम घोषित करने के बाद, सफल अभ्यर्थियों को अवर अभियंता के पद पर पदोन्नति दे दी गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों तथा विभागीय आदेश संख्या–158 दिनांक 05.02.2009 का कार्यान्वयन कब तक कर दिया जाएगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0 6454 दिनांक 20.05.2009 के द्वारा सफल अभ्यथियों को अवर अभियंता पद पर पदोन्नति दे दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

35–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी के धापा से क्वीरी–जिमियाँ साईपोलो, बुई, पातो तक मोटर मार्ग का निर्माण

36–श्री गगन सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत धापा से क्वीरी–जिमियां सांईपोलो, बुंई, पातो तक मोटर मार्ग निर्माण की योजना बनायी जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक निर्माण आरम्भ हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

शासन द्वार मार्ग निर्माण की स्वीकृति अभी नहीं दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नायब तहसीलदार व तहसीलदारों के पदों पर नियमानुसार प्रोन्नति

37–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रोन्नति की कोई नियमावली है? यदि हाँ, तो क्या प्रदेश में नायब तहसीलदार व तहसीलदारों के पदों पर प्रोन्नति संगत नियमों के अनुसार की गई हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ। राजस्व विभाग में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय सेवा नियमावलियाँ प्रभावी हैं। इन पदों पर प्रोन्नतियां भी प्रचलित सेवा नियमों के अनुरूप की गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के गैरसैंण स्थित पट्टी खनसर के माईथान से गनाई चौखुटिया तक के मोटर मार्ग का निर्माण

38–श्री अनिल नौटियाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि वर्ष 1975 में जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण स्थित पट्टी खनसर के माईथान नामक स्थान से गनाई चौखुटिया (जनपद–अल्मोड़ा) तक मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ था?

यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग के अब तक न बनने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार जनहित में उक्त मोटर मार्ग पर अविलम्ब निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं। जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण स्थित पट्टी खनसर के माईथान नामक स्थान से गनाई–चौखुटिया जनपद–अल्मोड़ा तक मोटर मार्ग शासनादेश संख्या–6875/28–5–87–75 सा0/85 दिनांक 29–03–1988 के द्वारा बछुवाबाण–चौखुटिया–कुनीगाड़–भण्डारी नाम से 20.00 किमी0 लम्बाई में स्वीकृत हुआ था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण स्थित पट्टी खनसर के माईथान नामक स्थान से गनाई चौखुटिया (जनपद–अल्मोड़ा) तक मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 28.55 किमी0 हैं, जो अलग–अलग भागों में स्वीकृत है। प्रश्नगत मार्ग के बछुवाबाण नामक स्थान से लगभग 2.00 किमी0 दूर खीड़ा नामक स्थान पर 48 मीटर स्पान का स्टील गर्डर सेतु स्वीकृत है जिसका निर्माण किया जाना शेष है। उक्त सेतु के स्थान पर डाइवर्जन बनाकर मार्ग को हल्के वाहनों के लिए यातायात हेतु सुलभ किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र धारचूला में वंचित रह गये ग्राम सभा व तोक में विद्युतीकरण

39–श्री गगन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र धारचूला के कई ग्राम सभा एवं तौक विद्युतीकरण से वंचित रह गये हैं?

यदि हाँ, तो छूटे हुए ग्राम/तोक में विद्युतीकरण कब तक किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

ग्राम जिप्ती का विद्युतीकरण उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0 द्वारा किया जा रहा हैं, जिसे दिसम्बर, 2009 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। अन्य छूटे हुये ग्रामों/तोकों का वर्तमान में भौगोलिक, तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से ग्रिड द्वारा विद्युतीकरण सम्भव नहीं है। ऐसे ग्रामों/तोकों का प्रकाशीकरण उरेडा द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ के सेराघाट में विद्युत उत्पादन हेतु कार्यरत हिमालया हाइड्रो कार्पोरेशन कम्पनी द्वारा होने वाले भूस्खलन को रोकने हेतु नीति

40–श्री गगन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि हिमालया हाइड्रो कॉर्पोरेशन कम्पनी जनपद पिथौरागढ़ के सेराघाट में विद्युत उत्पादन का कार्य कर रही है?

क्या सत्य है कि उक्त कम्पनी द्वारा किये जा रहे कार्य से सेराघाट के आस–पास के ग्राम सभाओं में बिदी, गोल्फा टाँगा गांव में भू–स्खलन का खतरा उत्पन्न हो गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभाओं में भू–स्खलन को रोकने के लिए कोई कारगर नीति अपना रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मै0 हिमालय हाइड्रो पावर प्रा0 लि0 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के सेराघाट में टांगा एवं मोतीघाट जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्णित बिदी, गोल्फा, टांगा ग्रामों में भूस्लखन का खतरा उत्पन्न होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद पिथौरागढ़ के सेराघाट में टाँगा मोटर मार्ग का चौड़ीकरण

41–श्री गगन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हिमालया हाइड्रो कम्पनी जनपद पिथौरागढ़ के सेराघाट में टाँगा–मोटर मार्ग का निर्माण कर रही है?

क्या सत्य है कि कम्पनी द्वारा निर्माणाधीन उक्त मोटर मार्ग में कुछ स्थानों पर मार्ग अत्यन्त संकरा होने से वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकती है एवं कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कम्पनी द्वारा निर्माणाधीन मोटर मार्ग के चौड़ीकरण करने हेतु कोई नीति अपना रही है?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मै0 हिमालय हाइड्रो पावर प्रा0 लि0 द्वारा परियोजना पर किसी भी प्रकार के मोटर मार्ग का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के जौलढुंगा, बसन्तकोट, बोथी, कुलथम को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु शासन की योजना

42–श्री गगन सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत जौलढुंगा, बसन्तकोट, बोथी, कुलथम को मोटर मार्ग से जोड़ने की योजना शासन में लम्बित है?

यदि हाँ, तो सरकार उक्त योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

शासन द्वारा मार्ग निर्माण की स्वीकृति अभी नहीं दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

43–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद पिथौरागढ़ स्थित ग्राम खेला के तोक चेतलधार में चट्टानें खिसकने से गांव को अन्यत्र बसाने पर विचार

44–श्री गगन सिंह–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 धारचूला के ग्राम खेला के तौक चेतलधार में चट्टानें खिसकने से पूरा खेला गांव एवं आस–पास के गांव स्याँकुरी, गर्गुवा, खेत ग्राम सभाओं को खतरा उत्पन्न हो गया है?

क्या सत्य है कि भू–वैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भी उक्त स्थान में चट्टानें खिसकने के कारण जानमाल की हानि हो सकती है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार की उक्त खेला गांव को अन्यत्र बसाये जाने की कोई योजना है?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

दिनांक 06.02.2009 को ग्राम सभा खेला के रफली तोक में चैतलकोट में आये भूस्खलन से प्रभावित 05 परिवारों को सुरक्षित स्थानों में आवासित किया गया है। शेष ग्राम सुरक्षित दूरी पर हैं तथा इस भू–स्खलन से निकट भविष्य में कोई खतरा नहीं है।

दिनांक 06.02.2009 से चैतलकोट नामक स्थान पर भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन क्षेत्र का तीन तकनीकी दलों द्वारा परीक्षण/सर्वेक्षण किया गया है। सत्य है कि भूवैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार चट्टानों की सन्धिया अस्थिर हुई हैं, जिसके कारण समय–समय पत्थर गिरने से मार्ग अवरूद्ध हो जाता है एवं जानमाल की क्षति की भी सम्भावना बनी रहती है। उक्त मार्ग को खोलने के लिए ग्रेफ द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है।

ग्राम खेला भूस्खलन से सुरक्षित स्थान पर है, जिसके कारण वर्तमान में ग्राम खेला को भूस्खलन से कोई खतरा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के तवाघाट नारायण आश्रम रोड चेतलधार में भूस्खलन होने से अवरूद्ध मार्ग को खोलने हेतु नीति

45–श्री गगन सिंह–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के तवाघाट–नारायण आश्रम रोड चैतलधार में भू–स्खलन एवं चट्टानें खिसकने के कारण उक्त मार्ग पर लोगों की आवाजाही बन्द हो रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क को खोलने के लिए कोई कारगर नीति बना रही है? यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

मार्ग सीमा सड़क संगठन के कार्य क्षेत्र में है। सीमा सड़क संगठन से प्राप्त सूचनानुसार आई.आई.टी. रूड़की के विशेषज्ञों के एक दल द्वारा माह फरवरी, 2009 में भूस्खलन वाले स्थल का स्थलीय सर्वेक्षण करने के उपरान्त अग्रेतर भूस्खलन रोकने हेतु तात्कालिक उपायों के साथ–साथ वैकल्पिक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में भी तकनीकी परामर्श सीमा सड़क संगठन को दिया गया है जिसे सीमा सड़क संगठन द्वारा अपने मुख्यालय को भेजा गया है। सीमा सड़क संगठन द्वारा मौके पर मार्ग खोलने हेतु मलवे को हटाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है और इस बीच लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त स्थान पर पैदल आवाजाही हेतु वैकल्पिक रास्ता बना दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के तवाघाट नारायण आश्रम रोड चेतलधार में भूस्खलन होने से क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाईनों की मरम्मत पर कार्यवाही

46–श्री गगन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के तवाघाट–नारायण आश्रम मार्ग चैतलधार में भू–स्खलन एवं चट्टानें खिसकने से विद्युत लाइनें पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से 20–30 ग्राम सभाओं में विद्युत आपूर्ति न होने से ग्रामवासी अन्धकार में जीवन–यापन कर रहे हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों की मरम्मत के लिए तत्काल कार्यवाही कर रही है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

धारचूला तहसील के चैतलघार में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों की मरम्मत कर विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा में बाईपास सड़क निर्माण की योजना

47–श्री गोपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत खटीमा नगर में बाईपास सड़क न होने से खटीमा नगर में आये दिन वाहनों का जाम लगा रहता है, तथा यातायात अवरूद्ध हो जाता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार की खटीमा में बाई पास सड़क निर्माण कराये जाने की कोई योजना है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

सामान्यतया नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खटीमा बाजार राष्ट्रीय मार्ग संख्या–125 के किमी0 28 में स्थित है। बाजार भाग में अस्थाई अतिक्रमण होने के कारण यदाकदा ही वाहनों के जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। सामान्यतया वाहनों का जाम नहीं रहता।

जनपद देहरादून के रायपुर ग्राम नत्थनपुर स्थित अलकनन्दा इन्क्लेव में सड़क का डामरीकरण

48–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या आवास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून विकास खण्ड रायपुर ग्राम सभा नत्थनपुर के अन्तर्गत अलकनन्दा इन्क्लेव में विवेकानन्द ग्राम फेज–1 व फेज–2 से होते हुए मोहकमपुर तक जाने वाली सड़क अत्यन्त ऊबड़–खाबड़ तथा गड्ढे युक्त हो गयी है?

क्या यह सत्य है कि बरसात के दिनों में उक्त सड़क पर स्कूल जाने वाले बच्चों/क्षेत्रवासियों को आने–जाने में अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है?

क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क का डामरीकरण कराये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

जनपद देहरादून विकास खण्ड रायपुर ग्राम सभा नत्थनपुर के अन्तर्गत अलकनन्दा इन्कलेव में विवेकानन्द ग्राम फेज–1 व फेज–2 से होते हुए मोहकमपुर तक जाने वाली सड़क की कुल लम्बाई 2 किमी0 है। यद्यपि यह मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित नहीं है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत इसमें 0.5 किमी0 सड़क का निर्माण कराया गया है और उक्त भाग का रखरखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा सकता है। अवशेष मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उक्त क्षेत्र में बिना ले–आउट स्वीकृत अवैध कॉलोनियाँ निर्मित हैं, अतएव अनाधिकृत रूप से निर्मित भवनों के नियमितीकरण से शमन शुल्क तथा प्रस्तावित भवनों के मानचित्र स्वीकृति से विकास शुल्क प्राप्त होने पर/वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क का डामरीकरण पर नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर में ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत बजट तथा सड़कें

49–श्री गोपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2008–09 में जनपद ऊधमसिंहनगर में ट्राईबल सबप्लान के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग को कितना बजट स्वीकृत किया गया था?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि स्वीकृत बजट में जनपद की कौन–कौन सी सड़कें स्वीकृत हुई?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

वर्ष 2008–09 में ट्राईबल सबप्लान के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विभिन्न मार्गों के नव निर्माण, पुनःनिर्माण एवं सुधार हेतु रू0 1089.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2008–09 में रू0 2.00 लाख की धनराशि की व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।

उपरोक्तानुसार जनपद ऊधमसिंहनगर में निम्न 08 सड़कें स्वीकृत की गई:–

1–बन्नाखेड़ा रोड से बांसखेड़ा विजयरम्पुरा, शहीद अंग्रेज सिंह की समाधी से होते हुये बन्नाखेड़ा मेन रोड तक सड़क का पुनःनिर्माण।

2–बन्नाखेड़ा बैलपड़ाव के किमी0 6 से सिन्धी मझरा होते हुये बन्नाखेड़ा मार्ग तक सड़क का पुनःनिर्माण कार्य।

3–नैनीताल कालाढूंगी मार्ग से दूधिया कालोनी/पहाड़पुर होते हुये भूडपुरी तक मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य।

4–सती मन्दिर हरिपुरा एवं सरदार नगर बन्नाखेड़ा रोड होते हुये सन्तोषपुर जनता फार्म तक पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य।

5–गुरूद्वारा नानकसागर रोड से मझरा, खुशालपुर, केल बनवारी, ईटहवा, बैंतखेड़ा, मार्ग का नव निर्माण।

6–मुकेला मोड़ से भूस्सावाला, बन्नाखेड़ासानी होते हुये बन्नाखेड़ा मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य।

7–तोता बेरिया मार्ग से महोली चैन, महोली तक मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य।

8–स्हाली से ढाकी होते हुए भीकमपुरी मझरा जंगल तक मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता के पदों पर की जा रही प्रभारी व्यवस्था में आरक्षण का लाभ

50–श्री प्रीतम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंताओं के पदों पर की जा रही प्रभारी व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था भी लागू की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग के ग्राम धनपुरा, धिस्सुपुरा जसौदरपुर चाँणचक व गैंडीखाता आदि ग्रामों में आवासों के ऊपर की हाईटेंशन लाईनों का स्थानान्तरण

51–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लालढांग में ग्राम–धनपुरा, धिस्सुपुरा, जसौदरपुर चाँणचक व गैण्डीखाता आदि ग्रामों में ग्रामीणों के आवासों के ऊपर से हाईटेंशन लाईन गुजर रही है जिससे हर वक्त जान–माल का खतरा बना रहता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त विद्युत लाइनों को आवासों के ऊपर से अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

ऊर्जा विभाग के शासनादेश सं0 वि0स0 697/I(2)2009-08/04/2008, दिनांक 09.03.2009 (छायाप्रति संलग्न) † में निहित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही किए जाने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (विवरण देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 86 पर)

जनपद हरिद्वार के ग्राम सराय व इब्राहिमपुर के जीर्ण–शीर्ण पुराने विद्युत तारों का बदलाव

52–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि ग्राम–सराय व इब्राहिमपुर (हरिद्वार) में विद्युत तार जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है जिसके कारण जान–माल की क्षति व किसी बड़ी दुर्घटना का भय ग्रामीणों में हर समय व्याप्त रहता है?

क्या सरकार जनहित में उक्त ग्रामों के जर्जर जीर्ण–शीर्ण पुराने विद्युत तारों को यथा–शीघ्र बदलवायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

ग्राम सराय एवं इब्राहिमपुर (हरिद्वार) में जीर्ण–शीर्ण विद्युत तारों को चिन्हित कर माह मई, 2009 में बदल दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के लालढांग के भोगपुर, रामपुर, रायघटी, गुज्जर बस्ती, गैंडीखाता व सुल्तानपुर ग्रामों में आग से प्रभावित ग्रामीणों को आर्थिक सहायता

53–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग के भोगपुर, रामपुर, रायघटी, गुज्जर बस्ती, गैण्डीखाता व सुल्तानपुर आदि ग्रामों में आग से ग्रामीणों का बहुत नुकसान हुआ है?

यदि हाँ, तो क्या आग से नुकसान की भरपाई हेतु प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक सहायता तीन दिन के अन्दर दी गयी है?

यदि हाँ, तो आर्थिक सहायता पाने वाले ग्रामीणों के नाम क्या हैं?

यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्ति/परिवार को आपदा राहत कोष के मानकों के अनुरूप अनुमन्य अहेतुक एवं गृह अनुदान में राहत राशि तहसील स्तर से वितरित की गई है।

प्रभावित परिवारों को, ग्राम भोगपुर में दिनांक 01.06.2009 को अग्निकाण्ड हुआ, जिसमें 35 प्रभावित व्यक्ति/परिवार को दिनांक 2.6.2009 को अंकन रू0 70.00 हजार की राहत राशि वितरित की गई।

गुज्जर बस्ती गैण्डी खाता में अग्निकाण्ड मानवीय भूल के कारण हुआ। जिसके लिए आपदा राहत कोष से कोई राहत सहायता अनुमन्य नहीं है।

ग्राम सुठारी में दिनांक 28.08.08 को अग्निकाण्ड हुआ जिसमें दि0 24.10.2008 को अंकन रू0 2.50 हजार (रू0 दो हजार, पांच सौ) की राहत राशि वितरित की गयी।

ग्राम रामपुर रायघटी में दिनांक 11.4.2008 को हुए अग्निकाण्ड में दिनांक 17.6.2008 को अंकन रु0 2.50 हजार (रू0 दो हजार पांच सौ) की राहत राशि वितरित की गयी पुनः दिनांक 28.04.2009 को हुए अग्निकाण्ड में दिनांक 27.06.2009 को प्रभावित व्यक्ति/परिवार को अनुमन्य राहत सहायता वितरित की गयी।

ग्राम रामपुर रायघटी में श्री सन्दीप पुत्र हरफूल के भूसा में लगी आग से हुई क्षति के सापेक्ष नियमानुसार राहत सहायता अनुमन्य न होने के कारण राहत सहायता अनुमन्य नहीं करायी जा सकी।

ग्राम सुलतानपुर आदमपुर में श्री इलताफ पुत्र मौ0अली की दुकान में बिजली में शॉर्ट सर्किट से आग लगी तथा श्री युसुफ पुत्र शफी की पशुशाला में मानवीय गलती से अग्निकाण्ड होने के कारण आपदा राहत कोष से सहायता अनुमन्य न होने के कारण राहत राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी।

हाँ। लाभार्थियों की सूची संलग्न है †

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग स्थित ग्राम कल्याड़ी को तहसील गैरसैंण से हटाकर तहसील कर्णप्रयाग में सम्मिलित किये जाने पर विचार

54–श्री अनिल नौटियाल–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली में कर्णप्रयाग विकास खण्ड के ग्राम–कल्याड़ी को तहसील गैरसैंण के अन्तर्गत रखा गया जबकि इस ग्राम पंचायत को विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत रखा गया? क्या सरकार ग्राम कल्याड़ी को तहसील गैरसैंण से हटाकर तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर भट्ट–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2008 के दौरान नियम–105 के अंतर्गत "राज्य के विकेन्द्रीकृत विकास में सुधार के लिए राज्य की प्रशासनिक इकाईयों का पुनः परिसीमन

† (विवरण देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 87 से 88 पर)

कराया जाए" प्रस्ताव पर चर्चा में यह आश्वासन दिया गया है कि राज्य सरकार वर्तमान प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन पर विचार किये जाने हेतु एक समिति के गठन की कार्यवाही करेगी। आश्वासन के अनुरूप समिति के गठन की कार्यवाही विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर भी समिति गठन के उपरान्त नियमानुसार विचार किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद पौड़ी के विष्णुप्रयाग जलविद्युत परियोजना की ग्राम गोदी में हाईटेंशन लाईन बिछाये जाने से प्रभावित काश्तकार तथा मुआवजे का विवरण

55–श्री गोपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना की ग्राम गोदी (बड़ी) जनपद पौड़ी गढ़वाल से गुजरने वाली हाइटेंशन लाईन बिछाये जाने से उक्त ग्राम के किन–किन काश्तकारों की भूमि प्रभावित हुई है?

क्या प्रभावित काश्तकारों को विभाग द्वारा मुआवजा दिलाये जाने की संस्तुति की गयी है? यदि हाँ, तो कब और किस दर से?

क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी, हाँ विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना की ग्राम गोदी बड़ी पट्टी सीला, तहसील कोटद्वार जिला पौड़ी से गुजरने वाली हाईटेंशन लाईन बिछाये जाने से क्रमशः

1–श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुरली सिंह, 2–श्री पूरण सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह, 3–श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, 4–श्री मोहन लाल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद, 5–श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री रोशन लाल, 6–श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री महानन्द, 7–श्री मदनलाल पुत्र श्री चक्रधर एवं, 8–श्री शिवदत्त पुत्र श्री ईश्वरी दत्त नामक काश्तकारों की भूमि प्रभावित हुई है।

जी, नहीं

जी हाँ, विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के तहत ग्राम गोदी बड़ी पट्टी सीला तहसील कोटद्वार जिला पौड़ी से गुजरने वाली हाईटेंशन लाईन बिछाये जाने से कुल आठ काश्तकारों की भूमि प्रभावित हुई है, किन्तु विष्णु घाट जल विद्युत परियोजना द्वारा भूमि का मुआवजा दिये जाने से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु अभी तक प्राप्त न होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पौड़ी के कोटद्वार अन्तर्गत राजस्व ग्रामों में मूल निवासी से भिन्न व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि की खरीद फरोख़्त

56–श्री गोपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील कोटद्वार अन्तर्गत राजस्व ग्रामों में राज्य के मूल/स्थायी निवासी से भिन्न व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि की खरीद फरोख्त की जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विगत दो वित्तीय वर्षों में राज्य के मूल/स्थायी निवासी से भिन्न किन–किन व्यक्तियों को किस प्रयोजन हेतु राजस्व ग्राम क्षेत्र में कृषि भूमि क्रय करने की अनुमति शासन द्वारा उक्त जनपद में प्रदान की गयी है?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ,

शासन द्वारा राज्य के मूल/स्थायी निवासी से भिन्न किसी भी व्यक्ति को विगत दो वित्तीय वर्षों में जनपद पौड़ी में राजस्व ग्राम क्षेत्र में कृषि भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि विगत दो वित्तीय वर्षों के अन्तर्गत जिला स्तर से श्रीमती समीक्षा पत्नी श्री उमेश्वर श्रीवास्तव निवासी–जे–22 साकेत नई दिल्ली को ग्राम सिरासू प0तल्ला ढांगू तहसील यमकेश्वर के खाता नं0–22 मध्ये 1.843 है0 भूमि कृषि एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु क्रय करने की अनुमति जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा दी गयी है।

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड दुगड्डा के करैंखाल से ग्राम गोदी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि तथा प्रभावित काश्तकार

57–श्री गोपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौडी गढ़वाल के विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत करैंखाल से ग्राम गोदी (बड़ी) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु किन–किन काश्तकारों के कौन–कौन से खसरा नम्बर की भूमि अधिग्रहीत की गई तथा मोटर मार्ग के निर्माण से मलबे के कारण कौन–कौन से नाप खेत प्रभावित हुए?

क्या प्रभावित काश्तकारों को उनकी भूमि का मुआवजा दिया गया?

यदि हाँ, तो कब तथा किस दर से?

यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन दोषी है और प्रभावित कृषकों को मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत करैंखाल से ग्राम गोदी (बड़ी) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जिन काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत की गई उनका विवरण संलग्न है। मोटर मार्ग के निर्माण से मलबे के कारण किसी भूमिधर की भूमि प्रभावित नहीं हुई है।

जी हाँ।

विवरण संलग्न है। †

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों की पदवार संख्या तथा नियमितीकरण

58–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों की पदवार संख्या कितनी है?

क्या सरकार वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

राज्य सम्पत्ति विभाग में वर्तमान में संलग्न विवरण के अनुसार 171 कर्मचारी स्थायी तथा 57 कर्मचारी अस्थायी हैं। †

उपरोक्त स्थायी/अस्थायी कर्मचारी विभागीय पदों के सापेक्ष नियमित रूप से नियुक्त हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत कार्य हेतु कम्पनी का नाम, समय सीमा तथा गुणवत्ता के मानक

59–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विद्युतीकरण का कार्य किस कम्पनी को दिया गया है?

---

† (विवरण देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 89 से 91 पर)

† (विवरण देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 92 पर)

क्या कार्य की समय सीमा व गुणवत्ता के मानक निर्धारित किए गए हैं?

यदि हाँ, तो शर्तों के अनुसार निश्चित समय सीमा क्या थी और क्या निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण कर लिया गया?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद अल्मोड़ा में राजीव गाँधी विद्युतीकरण का कार्य मै0 आईकॉम टेली लि0 हैदराबाद को दिया गया है।

कार्य की समय सीमा एवं गुणवत्ता अनुबन्ध में निर्धारित किये गये हैं।

अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की समय सीमा 30 जून, 2007 थी तथा फर्म ने निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया।

मै0 आईकॉम टेली लि0 द्वारा टर्न की कार्य करने हेतु संसाधनों को वांछित गति प्रदान नहीं की गई, जिसके लिये अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार फर्म से दण्ड अधिभार की कटौती की जा रही है।

60–श्री खजान दास–

(मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त)

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग स्थित खासन नदी पर पुल का निर्माण

61–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के जनजाति बाहुल्य विधान सभा क्षेत्र लालढांग में ग्राम–लालढांग–मिठ्ठीबेरी के रास्ते में खासन नदी पर पुल न होने के कारण क्षेत्र की जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है?

क्या सरकार जनहित में उक्त नदी पर पुल का निर्माण करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

शासन द्वारा पुल निर्माण की स्वीकृति अभी नहीं दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के ग्राम पंचायत के मजरे मंगोलपुर, रसूलपुर गोट आदि में सड़क का डामरीकरण

62—हाजी तस्लीम अहमद—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत जनजाति बाहुल्य विधान सभा क्षेत्र लालढांग की ग्राम पंचायत मिठ्ठीबेरी में पक्की सड़कों का अभाव है?

क्या सरकार जनहित में ग्राम पंचायत मिठ्ठीबेरी के मजरे मंगोल पुरा, रसूलपुर गोट आदि में 12 कि0मी0 सड़क का डामरीकरण कार्य करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'—

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के रामनगर मोहान से रानीखेत तक सड़क निर्माण कार्य कर रही कम्पनी का नाम तथा कार्य की गुणवत्ता की जांच की रिपोर्ट

63—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रामनगर मोहान से रानीखेत तक हॉटमिक्स द्वारा बनाई जा रही सड़क निर्माण का ठेका किस कम्पनी को दिया गया है?

क्या यह सत्य है कि उक्त कम्पनी द्वारा यह कार्य छोटे ठेकेदारों को दे दिया गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार निर्माण की गुणवत्ता की जांच करेगी और जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'—

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत—मोहान मोटर मार्ग में हॉट मिक्स द्वारा बनायी जा रही सड़क के निर्माण का ठेका मै0 गंगोत्री इण्टरप्राईजेज बी—158 सेक्टर—ए, महानगर लखनऊ को दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

64–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

(द्वितीय गुरूवार के अता0 28 में स्थान0)

जनपद हरिद्वार के लक्सर–रूड़की मार्ग स्थित सौलानी पुल को टौल–टैक्स से मुक्त करने पर विचार

65–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत लक्सर–रुड़की सम्पर्क मार्ग पर सौलानी पुल पर टौल–टैक्स कब से लिया जा रहा है?

क्या सरकार उक्त पुल व मार्ग को कुंभ मेले से पूर्व टौल–टौक्स से मुक्त करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

दिनांक 05.06.1981 से।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अवशेष धनराशि की वसूली होने तक।

उत्तरकाशी में वरूणावत पर्वत उपचार कार्य की प्रगति तथा कार्यरत श्रींग कन्सट्रक्शन कम्पनी को उपचार हेतु आवंटन का आधार

66–श्री प्रीतम सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरकाशी में वरूणावत पर्वत उपचार कार्य पूर्ण हो चुका है?

यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

क्या श्रींग कन्सट्रक्शन कम्पनी को वरूणावत पर्वत उपचार का कार्य सीधे आवंटित किया गया था?

यदि हाँ, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

वरूणावत पर्वत का समस्त उपचार कार्य जो कि मै0 श्रींग कस्ट्रक्शन कम्पनी को आवंटित किया गया था, केवल शूट ट्रीटमेंट को छोड़कर दिनांक 31.03.2009 को पूर्ण कर लिया गया है।

शूट ट्रीटमेंट के दौरान ऊपर से पत्थर/बोल्डर या किसी निर्माण सामग्री के लुढ़क कर उत्तरकाशी के आबादी वाले इलाके में गिरने की सम्भावना है जिससे जान–माल की हानि हो सकती है। इन परिस्थितियों को मद्यनजर रखते हुए वरूणावत पर्वत उपचार कार्य हेतु गठित तकनीकी समिति से शूट ट्रीटमेंट कार्य को सम्पादित करने हेतु ऐसी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं कि उत्तरकाशी शहर के आबादी वाले क्षेत्र/बफर जोन को यथा सम्भव बिना खाली कराये शूट ट्रीटमेंट कार्य किया जा सके। इस सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

जी नहीं। वरूणावत पर्वत उपचार कार्य के आवंटन हेतु सीमित निवदायें आमंत्रित की गई थीं जिनमें मै0 श्रींग कस्ट्रक्शन कम्पनी की निविदा की दरें न्यूनतम होने के कारण यह कार्य इस कम्पनी को आवंटित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत वितरण खण्डों द्वारा फेंचाइजी पर दिये गये सबडिवीजन की कार्य प्रगति

67–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने विद्युत वितरण खण्डों के सब डिवीजन फेंचाइजी पर दिये गये?

क्या फ्रेंचाइजी पर दिये गये सब डिवीजन सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

प्रदेश में 10 विद्युत वितरण खण्डों के सब डिवीजन फेंचाइजी पर दिये गये हैं।

फ्रेंचाइजी पर दिये गये सब डिवीजनों में से विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी के सब डिवीजन चिन्यालीसौड एवं सब डिवीजन उत्तरकाशी तथा विद्युत वितरण खण्ड चम्पावत के सब डिवीजन लोहाघाट में फेंचाइजी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

इसके विभिन्न कारण निम्नानुसार हैं:–

1. विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार के सब डिवीजन जयहरीखाल की फेंचाइजी द्वारा स्वेच्छा एवं व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 01.04.2009 से कार्य बन्द कर दिया गया।

2. विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर के सब डिवीजन कर्णप्रयाग तथा विद्युत वितरण खण्ड टिहरी के सब डिवीजन चम्बा में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य न किये जाने के कारण अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया।

3. विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रप्रयाग के सब डिवीजन ऊखीमठ तथा विद्युत वितरण खण्ड पौड़ी के सब डिवीजन सतपुली के अनुबन्ध निर्धारित अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् फेंचाइजी ने नवीनीकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

4. विद्युत वितरण खण्ड विकासनगर के उपखण्ड चकराता के फेंचाइजी द्वारा अनुबन्ध के पश्चात् कोई कार्यवाही न करने के कारण उनकी जमानत धनराशि जब्त कर दी गई है।

5. विद्युत वितरण खण्ड बागेश्वर के उपखण्ड बागेश्वर (प्रथम) के फेंचाइजी द्वारा अनुबन्ध के अनुसार अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

68–श्री प्रीतम सिंह–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद पौड़ी अन्तर्गत कोलाखाल–जयकोट मोटर मार्ग से ग्राम पणियां को जोड़ने पर की गई कार्यवाही तथा प्रगति

69–श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत कोलाखाल–जयकोट मोटर मार्ग से ग्राम पण्यिां को जोड़ने के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत लोक निर्माण विभाग, पौड़ी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक 1385 / विधायक / 6–निर्माण / 2008–09 दिनांक 19 दिसम्बर 2008 विभाग में कब प्राप्त हुआ है तथा पत्र में वर्णित तथ्यों पर की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा ग्राम पणियां को कब तक उक्त मोटर मार्ग से जोड़ दिया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

पत्र दिनांक 07–01–2009 को प्राप्त हुआ। कोलाखाल–जयकोट मोटर मार्ग के किमी0 1,2 एवं 4 का पहाड़ कटान कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं किमी0 3 में पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर है तथा ग्राम पणियां को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 का लक्ष्य रखा गया है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत बहेड़ाखाल–कोटा महादेवसैंण–कुण्डकली मोटर मार्ग की लम्बाई तथा स्वीकृत धनराशि

70–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र 2008 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बहेड़ाखाल–कोटा–महादेवसैंण–कुण्डकली मोटर मार्ग की वास्तविक स्वीकृत लम्बाई क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि किस शासनादेश द्वारा कितनी लम्बाई के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा इस मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

वास्तविक स्वीकृत लम्बाई 2.00 किमी0 है।

शासनादेश संख्या–299 / लो0नि0–2 / 04–16(प्रा0आ0) / 04 दिनांक 28–02–04 द्वारा 2.00 किमी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 27.80 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई तथा माह दिसम्बर, 2009 तक मार्ग का निर्माण पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

जनपद पौड़ी के नौगांवखाल–तुनाखाल से ग्राम दुन्द्रकोटी सीलामल्ला–सीलातल्ला मोटर मार्ग के निर्माण की प्रगति

71–श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत नौगांवखाल–तुनाखाल मोटर मार्ग से ग्राम दुन्द्रकोटी–सीलामल्ला–सीलातल्ला के लिए मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत्त लोक निर्माण विभाग पौड़ी को सम्बोधित पत्रांक 575 / विधायक / 6–निर्माण / 2007–08 दिनांक 04.02.08 तथा पत्रांक 1404 / विधायक / 6–निर्माण / 2008–09 दिनांक 19.12.08 विभाग में कब प्राप्त हुए हैं तथा इन पत्रों में वर्णित तथ्यों पर अब तक की गई कार्यवाही एवं हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति जारी की जायेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मा0 सदस्य विधान सभा क्षेत्र एकेश्वर कर प्रश्नगत मार्ग निर्माण से संबंधित पत्र अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी को क्रमशः दिनांक 12.02.08 एवं दिनांक 20.12.08 को प्राप्त हुआ। तद्क्रम में संबंधित मार्ग का आगणन गठित कर दिया गया है। शासन द्वारा मार्ग स्वीकृत नहीं है।

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल स्थित विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति

72–श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के मोटर मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक 1402/विधायक/6–निर्माण/2008–09, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 शासन में कब प्राप्त हुआ है और पत्र में वर्णित मोटर मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने/करवाने की दिशा में की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक वर्णित मोटर मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जायेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

शासन में पत्र दिनांक 29.12.2008 को प्राप्त हुआ। पत्र में वर्णित 17 कार्यों के सापेक्ष 06 कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

जनपद पौड़ी के वि0 ख0 बीरोंखाल अन्तर्गत बस सेवाओं के संचालन हेतु अनुपयुक्त मोटर मार्ग

73–श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन–कौन से निर्मित मोटर मार्ग हैं जिन्हें सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी द्वारा बस सेवाओं के संचालन हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है और मार्ग निर्माण में त्रुटियां बताई गई हैं?

इस मार्गों को बस सेवाओं के संचालन हेतु कब तक उपलब्ध करवाया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत निम्न 11 निर्मित मोटर मार्ग हैं जिन्हें सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी द्वारा कतिपय त्रुटियाँ बताते हुये बस सेवाओं के संचालन हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है:–

1. कौड़िया–किमसार–मोटर मार्ग।
2. चैलूसैंण–सिलोगी–घट्टूगाट मोटर मार्ग।
3. नालीखाल–नाथूखाल–पोखरीखेत मोटर मार्ग।
4. नालीखाल–बनचूरी मोटर मार्ग।
5. यमकेश्वर लिंक मार्ग।
6. डौलियाखाल–पटौटिया सम्पर्क मार्ग।
7. बेदीखाल–एरोली–पडिण्डा मोटर मार्ग।

8. किल्वोखाल–टकोलीखाल मोटर मार्ग।
9. पौखाल–भंवासी मोटर मार्ग के किमी0 23 से माण्डलू–ऐराड़ी–पंयाखेत मोटर मार्ग।
10. किशनपुर–हरिद्वार मोटर मार्ग।
11. डाडामण्डी–मदनपुर मोटर मार्ग।

उक्त 11 मार्गों में से 8 मार्गों में वांछित सुधार कार्य सम्पन्न कराकर सम्भागीय परिवहन अधिकारी को पुनः निरीक्षण हेतु सूचित किया गया है तथा शेष 3 मार्गों पर सुधार कार्य गतिमान है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी के निरीक्षणोपरान्त इन मार्गों को बस सेवाओं के संचालन हेतु उपलब्ध कराया जा सकेगा।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत दुनाव के समीप वाडियूं बैण्ड पर स्वीकृत पुल के निर्माण हेतु कार्यवाही तथा प्रगति

74–श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 3128 / III(2) / 06 / 61 प्रा0आ0 / 06 / 39 दि0 22.11.06 के द्वारा स्थान दुनाव के समीप वाडियूं बैण्ड में रूपये 32.50 लाख लागत से स्वीकृत पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक 979 / विधायक / 06–निर्माण / 2008–09 दिनांक 31 अक्टूबर 2008 शासन में कब प्राप्त हुआ तथा स्वीकृत पुल के निर्माण हेतु अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक उक्त स्वीकृत पुल का निर्माण कर दिया जायेगा एवं पुल निर्माण में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद पौड़ी गढ़वाल विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत स्थान दुनाव के समीप वाडियूं बैण्ड में रूपये 32.50 लाख लागत से स्वीकृत पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में पत्रांक–979 / विधायक / 06–निर्माण / 2008–09 दिनांक 25–07–08 शासन में दिनांक 06–08–08 को प्राप्त हुआ तथा स्वीकृत सेतु कार्य के स्थल चयन के उपरान्त भू–गर्भवेत्ता द्वारा स्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। वर्तमान में निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी हैं जो कि अधिक दरों पर प्राप्त हुई हैं। ठेकेदार को दरें कम किये जाने हेतु लिखा गया है। निविदा निस्तारण के बाद अनुबन्ध गठित कर सेतु निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

सेतु के स्थल चयन में विवाद होने के कारण पुल के निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत देवराजखाल–जयखाल–खेडगांव–रीठाखाल मोटर मार्ग का समरेखण एवं निर्माण कार्य

75–श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत देवराजखाल–जयखाल–खेडगांव–रीठाखाल मोटर मार्ग के समरेखण के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, पौड़ी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक 1058/विधायक/6–निर्माण/2008–09 दिनांक 19–07–08 कब प्राप्त हुआ है और पत्र में वर्णित समस्याओं के समाधान हेतु अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है तथा शासनादेशानुसार कब तक मोटर मार्ग का निर्माण कर दिया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत देवराजखाल–जयखाल–खेड़गाँव–रीठाखाल मोटर मार्ग के समरेखण से सम्बन्धित पत्र दिनांक 05–08–08 को प्राप्त हुआ। देवराजखाल–जयखाल–खेडगांव–रीठाखाल मोटर मार्ग के किमी0 7.00 में विवादित भाग पर माह फरवरी, 2009 में विवाद सुलझा लिया गया है। स्वीकृत मोटर मार्ग के प्रथम 6.00 किमी0 का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे माह मई, 2010 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। शेष 5.00 किमी0 भाग, जिसमें वन भूमि पड़ती है, का वन भूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। इस भाग में वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

76–श्रीमती अमृता रावत–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त)

जनपद पौड़ी में निर्माण एवं सुधार कार्यों के कारण क्षतिग्रस्त देवप्रयाग–व्यासघाट मोटर मार्ग का सुधारीकरण

77–श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौडी, देवप्रयाग तथा उमरासू–घिण्ड़वाडा और व्यासचट्टी–भूतरिसी मोटर मार्गों के निर्माण एवं सुधार कार्यों के कारण देवप्रयाग–व्यासघाट मोटर मार्ग पर आई स्लिपों, बोल्डरों तथा क्षतिग्रस्त दीवारों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, श्रीनगर (गढ़वाल) को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक 1568/विधायक/06–निर्माण/2008–09 दिनांक 25 फरवरी, 2009 सम्बन्धित अधिकारियों को कब–कब प्राप्त हुआ है तथा पत्र में वर्णित समस्या के निवारण हेतु अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

माननीय विधायक के हस्ताक्षरयुक्त प्रश्न में इंगित पत्रांक का पत्र विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत नवनिर्मित एवं विस्तारित यातायात योग्य मोटर मार्गों का विवरण

78–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2008 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 04 के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नवनिर्मित एवं विस्तारित किन–किन मोटर मार्गों को यातायात योग्य घोषित किये जाने सम्बन्धी विवरण सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी को कब–कब उपलब्ध करवाया जा चुका है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

अब तक जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नवनिर्मित एवं विस्तारित कुल 27 मोटर मार्गों को यातायात योग्य घोषित किये जाने सम्बन्धी विवरण सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिनका विवरण संलग्न है। †

जनपद ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी के अधीन–आवासीय कालोनियों में अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अध्यासित भवनों की स्थिति

79–श्री गोपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी के अधीन कितनी आवासीय कालोनी हैं एवं उक्त कालोनियाँ वहां के जिलाधिकारी कार्यालयों से सम्बद्ध सभी सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के रहने के लिये पर्याप्त हैं?

यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन कालोनियों में ऐसे कितने अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनका स्थानान्तरण अन्य जिलों में हो गया है, परन्तु उन्होंने अभी तक आवास रिक्त नहीं किए हैं? क्या सरकार अन्य जिलों में स्थानान्तरित ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों से आवास खाली करवायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर भट्ट–

ऊधमसिंहनगर के जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी के अधीन चार आवासीय कालोनियाँ हैं, व यह कालोनियाँ जिलाधिकारी कार्यालयों से सम्बद्ध समस्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

---

† (विवरण देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 93–94 पर)

इन कालोनियों में निवासरत एक अधिकारी व एक कर्मचारी जिले से अन्यत्र स्थानान्तरित हो चुके हैं। इन अधिकारियों को आवास खाली करने हेतु नोटिस निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी में स्वीकृत 180 मोटर मार्गों पर निर्माण कार्य की प्रगति

80–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2008 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 02 के उत्तरालेख के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौडी गढ़वाल में स्वीकृत 180 कार्यों पर कार्य प्रारम्भ करवाने की दिशा में अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब उक्त स्वीकृत मोटर मार्गो का निर्माण प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद पौडी गढ़वाल में स्वीकृत 180 कार्यों पर कार्य प्रारम्भ करवाने की दिशा में हुई प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:–

1–कार्य प्रगति पर	55 कार्य
2–वन भूमि हस्तान्तरण के स्तर पर	45 कार्य
3–समरेखण निर्धारण के स्तर पर	24 कार्य
4–सर्वेक्षण/विस्तृत आगणन/निविदा निस्तारण के स्तर पर	31 कार्य
5–अन्य स्तर पर	25 कार्य

कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही गतिमान है।

सतपुली स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का सुसज्जितीकरण

81–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2008 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तरालेख के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि लोक निर्माण विभाग के सतपुली स्थित निरीक्षण भवन को स्वच्छ, सुन्दर और सुसज्जित करवाने के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही के परिणाम क्या हैं तथा कब तक उक्त निरीक्षण भवन को स्वच्छ, सुन्दर एवं सुसज्जित कर दिया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

सतपुली स्थित निरीक्षण भवन को स्वच्छ, सुन्दर और सुसज्जित करने का कार्य माह फरवरी, 2009 में पूर्ण कर दिया गया है।

जनपद पौड़ी के बाडियूँ–जखनोली–कुण्डकली–दिऊसा स्वीकृत मोटर मार्ग की कार्य प्रगति तथा परिवहन सेवा हेतु उपलब्धता

82–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2008 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत बाडियूँ–जखनोली–कुण्डलकली–दिऊसा नाम से स्वीकृत मोटर मार्ग निर्माण की कार्य प्रगति का विवरण क्या है?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कब तक इस मार्ग का निर्माण करवाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कब तक निर्मित मोटर मार्ग परिवहन सेवाओं के लिए उपलब्ध कर दिया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

बाड़ियूँ–जखनोली–कुण्डकली–दिऊसा नाम से स्वीकृत मोटर मार्ग के किमी0 1 एवं किमी0 2 में 70 प्रतिशत पहाड़ कटान कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा किमी0 3 से किमी0 10 में अनुबन्ध गठित किये जा रहे हैं।

इस मार्ग का निर्माण माह दिसम्बर, 2010 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। तदोपरान्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त निर्मित मोटर मार्ग परिवहन सेवाओं के लिए उपलब्ध कर दिया जायेगा।

83–श्रीमती अमृता रावत–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

84–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड थलीसैंण के ग्राम कुठालगांव में बन्द पड़ी विद्युत आपूर्ति

85–श्रीमती अमृता रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैंण के ग्राम कुठालगांव में एक लम्बी अवधि से विद्युत आपूर्ति बन्द है?

यदि हाँ, तो विद्युत आपूर्ति न किये जाने के क्या कारण हैं एवं विद्युत आपूर्ति बहाल करवाने में हो रहे विलम्ब के प्रति कौन उत्तरदायी है

तथा कब तक विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जायेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत ग्राम कुठालगांव में 10 एवं 11 फरवरी, 2009 को भारी हिमपात एवं आंधी तूफान के कारण विद्युत लाईनें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, जिसे 5 मार्च, 2009 को ठीक कर विद्युत आपूर्ति सूचारू कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सरकारी सेवा में सेवारत महिला कर्मचारी/अधिकारी को छः माह मातृत्व अवकाश की सुविधा का लाभ

86–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकारी सेवा में सेवारत महिला कर्मचारी/अधिकारी के लिए तीन माह के मातृत्व अवकाश को, केन्द्र सरकार तथा पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश सरकार की पद्धति पर, छः माह करने जा रहे है? यदि हाँ, तो इन कार्मिकों को इस सुविधा का लाभ कब से देय होगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

केन्द्रीय छठवें वेतन आयोग के क्रम में मात्र केन्द्रीय वेतनमान एवं महंगाई भत्ते की दरें ही राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गयी हैं। विभिन्न प्रकार के अवकाश जिसमें मातृत्व अवकाश भी सम्मिलित है, पर राज्य सरकार द्वारा गुण दोष के आधार पर निर्णय लिये जाने की प्रक्रिया है। फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राज्य सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय लेती है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज अन्तर्गत नानकमत्ता के ग्राम झनकट में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना

87–श्री गोपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विद्युत वितरण खण्ड सितरागंज में उप विद्युत वितरण खण्ड नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम झनकट विकास खण्ड खटीमा में 33/11 के0वी0 का विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो ग्राम झनकट विकास खण्ड खटीमा में कब तक विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की जाएगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

उपखण्ड की स्थापना वित्तीय संस्था से वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में ट्राइबल सब प्लान अन्तर्गत वर्ष 2007 से 2009 में स्वीकृत पक्की सड़क

88–श्री गोपाल सिंह–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर 63 विधान सभा क्षेत्र खटीमा थारू अनु0 जनजाति हेतु आरक्षित है?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2007–08 अथवा 2008–2009 ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत कितनी तथा कौन–कौन सी पक्की सड़क स्वीकृत की गयी है?

यदि नहीं, तो क्या 2009–2010 में विधान सभा क्षेत्र खटीमा ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत पक्की सड़क बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है।

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2007–08 अथवा 2008–2009 में ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत कोई पक्की सड़क स्वीकृत नहीं की गयी है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा के ग्रामों में लो–वोल्टेज की समस्या का सुधारीकरण

89–श्री गोपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर विधान सभा क्षेत्र खटीमा में ग्रामों में लो–वोल्टेज की समस्या बनी हुई है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार लो–वोल्टेज ग्रामों में विद्युत सुधारीकरण की योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद ऊधमसिंह नगर के कतिपय ग्रामों में लो–वोल्टेज की समस्या बनी हुई है।

जी हाँ।

दिनांक 31.03.2010 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत ग्रामों में क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर तथा बदलने की कार्यवाही की प्रगति

90–श्रीमती अमृता रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वर्तमान में किन–किन गांवों में स्थापित ट्रान्सफार्मर कब से क्षतिग्रस्त हैं तथा इन्हें बदलवाने की दिशा में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को बदल दिया जायेगा?

क्या यह भी सत्य है कि विकास खण्ड बीरोंखाल के ग्राम सुन्दरखाल तथा विकास खण्ड पोखड़ा के ग्राम बरसुण्ड और श्रीकोट में एक लम्बी अवधि से ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त हैं जिसके कारण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित चली आ रही है?

यदि हाँ, तो क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को बदलवाने की दिशा में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

वर्तमान में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत निम्न गांवो में स्थापित ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हैं:–

गांव का नाम	विकासखण्ड	ट्रांसफार्मर क्षतिगस्त की तिथि
1	2	3
1. डुक्लान खेत	ढांगू	10.05.09
2. मिल्डगांव	ढांगू	18.05.09
3. कीर्तिखाल	ढांगू	18.05.09
4. हंज्यूडो	थैलीसैण	26.05.09
5. मनमोली	रिखणीखाल	28.05.09
6. उनेरी	रिखणीखाल	29.05.09

1	2	3
7. थापला	वीरोखाल	1.06.09
8. बसतोला	यमकेश्वर	3.06.09
9. कलसी	ढांगू	18.06.09
10. नाई	पोखड़ा	20.04.09
11. सिरकिल	पाबों	01.03.09
12. चौरा	थैलीसैंण	07.05.09
13. चौपडियों बाजार	पाबों	13.05.09
14. चौफण्डा	पाबों	11.05.09
15. नाई	पाबों	10.06.09

उक्त गांवों में से डुक्लान खेत, भिल्डगांव, मनमोली एवं उनेरी के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं तथा शेष गांव के ट्रांसफार्मर जुलाई, 2009 के अन्तिम सप्ताह तक बदल दिये जायेंगे।

विद्युत वितरण खण्ड बीरोंखाल के ग्राम सुन्दरखाल तथा विकासखण्ड पोखड़ा के श्रीकोट के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं तथा विद्युत आपूर्ति सामान्य है। ग्राम बरसुण्ड में ट्रांसफार्मर को शीघ्र बदल दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी के गगवाड़ा गांव में आग बुझाने गये मृतकों के परिजनों को सरकारी सेवा का लाभ

श्री यशपाल बेनाम–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल अन्तर्गत गगवाड़ा गांव में आग बुझाने गये मृतकों के परिजनों को सरकार सरकारी सेवा में लेने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्याधीन सेवाओं में भर्ती, सेवा नियमावलियों में निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाती है तथा सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती

नियमावली, 1974 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) के अनुसार की जाती है। उक्त के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के व्यक्तियों अथवा उनके आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है।

श्रीमती अमृता रावत स0वि0स0 के पत्रांक पर ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित समस्याओं के निवारण हेतु की गई कार्यवाही

92–श्रीमती अमृता रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में ऊर्जा सचिव को सम्बोधित, प्रश्नकर्ता के पत्रांक 1071/विधायक/16–ऊर्जा/2008–09 दिनांक 25 सितम्बर, 2008 तथा पत्रांक 1600/विधायक/16–ऊर्जा/2008–09 दिनांक 18 मार्च, 2009 पर की गई कार्यवाही की जानकारी अभी तक प्रश्नकर्ता को नहीं दी गई है?

यदि हाँ, तो मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 25 सितम्बर, 2008 के पत्र में वर्णित ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित समस्याओं के निवारण हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी प्रश्नकर्ता को न दिए जाने के कारण क्या हैं

और कब तक वर्णित समस्याओं का निवारण कर दिया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यथा शीघ्र।

93–श्री यशपाल बेनाम–

(द्वितीय मंगलवार के अतारांकित–29 में स्थानांतरित)

पौड़ी से जिला कारागार के खाड़यूसैंण स्थानांतरित होने से पूर्व के जिला कारागार भवन को नगर पालिका परिषद् पौड़ी को दिये जाने पर विचार

94–श्री यशपाल बेनाम–

क्या कारागार मंत्री अवगत हैं कि पौड़ी में वर्ष 1902 से संचालित जिला कारागार वर्तमान में खाडंयूसैंण शिफ्ट हो गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्व कारागार भवन को न0पा0 परिषद पौड़ी को दिये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

जी हाँ।

सम्प्रति, जी नहीं।

सम्प्रति, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

टिहरी बांध डूब क्षेत्र में चिन्यालीसौड़ सुनारगांव मोटर पुल का नव–निर्माण

95–श्री केदार सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि टिहरी बांध डूब क्षेत्र में चिन्यालीसौड़ सुनारगांव मोटर पुल का नव निर्माण न होने से स्थानीय जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है?

यदि हाँ, तो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ, हल्का वाहन पुल डूब गया है।

वर्तमान में धरासू पुल से आवागमन उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–87 पर सिमली से तालबैंड तक चौड़ीकरण/डामरीकरण की कार्य प्रगति

96–श्री अनिल नौटियाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के कर्णप्रयाग रानीखेत राष्ट्रीय संख्या–87 (एक्सटेंशन) पर सिमली से तालबैंड तक का चौड़ीकरण/डामरीकरण कार्य कब स्वीकृत हुआ एवं उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि चौड़ीकरण/डामरीकरण का कार्य दिवालीखाल तक प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो अभी पैराफिट आदि का कार्य कराये जाने का क्या औचित्य है? क्या निर्माण कार्य मानकों के अनुसार हो रहे है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद चमोली के आदिबद्री (तालबैण्ड) (कि0मी0 218) से सिमली (कि0मी 228) तक कुल लम्बाई 10.6 कि0मी0 को एक लेन से डेढ़ लेन चौड़ीकरण एवं डामरीकरण की स्वीकृति सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रू0 498.62 लाख की दिनांक 31.03.2005 को प्रदान की गई थी। कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य माह 12/2009 निर्धारित है।

जी नहीं।

पैराफिट का कार्य रोड सेफ्टी हेतु दुर्घटनायें रोकने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत हुआ है, जिसके अनुरूप कार्य किया जा रहा है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में मध्याहन् 12:20 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(नेता प्रतिपक्ष, डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे। जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आज नियम–300 के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लाक में ग्राम वीरेन्द्र नगर, गौंठा, ग्राम गुरूनानक नगरी, ग्राम लौका व नकहा को राजस्व ग्राम बनाए जाने के संबंध में श्री नारायण पाल की सूचना को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

(माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी का नाम पुकारे जाने पर वे अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) अध्यादेश, 2009

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) अध्यादेश, 2009 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

राजधानी स्थल चयन आयोग की रिपोर्ट

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से राजधानी स्थल चयन आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखता हूँ। रिपोर्ट की अंग्रेजी प्रतियाँ मान्यवर, माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ उपलब्ध करा दी गयी हैं और लाइब्रेरी में भी उपलब्ध करायी गयी हैं और खण्ड–3 की अनुवादित हिन्दी प्रति माननीय सदस्यों को वितरित की जा रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक से प्राप्त 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक से प्राप्त 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्यों की बातों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा, जब तक कि सदन व्यवस्थित नहीं हो जाता।

(घोर व्यवधान के मध्य)

पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 (महामहिम राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु वापस)

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009, जोकि विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को पारित किया गया और जो 'भारत का संविधान' के

अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहित राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 मार्च, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2009 को दूसरा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993] (संशोधन) विधेयक, 2009

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मै आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993] (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 मार्च, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2009 का तीसरा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 मार्च, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2009 का चौथा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 अप्रैल, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2009 का पाँचवा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–11, 12, 13 एवं 14 कल के लिए स्थगित।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्य पूर्व की भांति 'वेल' में खड़े नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11–07–2009 की बैठक में दिनांक 13–07–2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है:–

जुलाई, 2009

13 (सोमवार) 1. औपचारिक कार्य।

2. विभिन्न प्रतिवदेनों का सदन के पटल पर रखा जाना।

3. उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद विधयेक, 2009 पर विचार एवं पारण। (एक घण्टा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–58 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री नारायण पाल तथा श्री किशोर उपाध्याय की कुल 02 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री नारायण पाल की सूचना जो जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक में सिडकुल एवं एल्डिकों के सहयोग से बन रहे औद्योगिक जोन में सिडकुल द्वारा कुछ धनराशि उद्यमियों से लेकर भूमि उन्हें दे दी है, किन्तु उद्यमी नियत समय पर अपना उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं इससे औद्योगिक ज़ोन का सपना अधूरा रह गया है, से सम्बन्धित है। दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय की है जो कि हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्वामी रामतीर्थ परिसर को विश्वविद्यालय बनाने हेतु स्थानीय निवासियों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में है। मैं नियम–58 की दोनों सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चूँकि आज सदन व्यवस्थित नहीं है इसलिए मेरा अनुरोध है कि मद संख्या–22 तथा मद संख्या–23 को आज स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–22 तथा 23 को कल के लिए स्थगित कर देते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री नारायण पाल तथा श्री गोपाल सिंह रावत की कुल दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से पहली सूचना माननीय सदस्य श्री नारायण पाल की है, जो ऊधमसिंह नगर में पन्तनगर विश्वविद्यालय में विगत कई दिनों से छठे वेतनमान को वर्ष 2006 के स्थान पर वर्ष 2009 से लागू करने की मांग तथा सम्बन्धित शासनादेश में विसंगतियों की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों द्वारा चल रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में है तथा दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह रावत की है जो राज्य के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के पत्राचार बी0टी0सी0 शिक्षकों का राजकीय सेवाओं में समायोजन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। मैं श्री गोपाल सिंह रावत जी की इस सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ तथा माननीय सदस्य श्री नारायण पाल की सूचना को अस्वीकार कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,

दिनांक: 13 जुलाई, 2009

महेश चन्द्र,

सचिव, विधान सभा,

उत्तराखण्ड।

नत्थी–"क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–18 का उत्तर पीछे पृष्ठ–19 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2009 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–18 का संलग्नक–1

उत्तराखण्ड सचिवालय में विभिन्न संवर्गों में पदवार पदों के सृजन के निर्धारित मानकों का विवरण निम्नवत् है:–

(I) अनुभागों हेतु मानकों का निर्धारण के आदेश संख्या 51/एक–4/2002 दिनांक 24.01.02 एवं आदेश संख्या 498/XXX I(I)/06 दिनांक 17.06.06 को निर्गत किये गये हैं।

अनुभाग अधिकारी	समीक्षा अधिकारी	सहायक समीक्षा अधिकारी	टंकक	अनुसेवक
01	04	02	01	01

(II) अनुभाग अधिकारी से अपर सचिव तक मानक निर्धारण मा0 मंत्रिपरिषद के आदेश दिनांक 19.02.01 को लिये गये निर्णयानुसार।

अनुभाग अधिकारी से अनुसचिव	3:1
अनुसचिव से उपसचिव	2:1
उपसचिव से संयुक्त सचिव	2:1
संयुक्त सचिव से अपर सचिव	3:1

(III) मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 मंत्री गणों/राज्यमंत्रीगणों एवं अधिकारीगणों हेतु अनुमन्य स्टाफ के मानक निर्धारण के आदेश संख्या 51/एक–4/2002 दिनांक 24.01.02 को निर्गत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नवत् है:–

पद	निजी सचिव	अपर निजी सचिव	समीक्षा अधिकारी	सहायक समीक्षा अधिकारी	अनुसेवक
मा0 मुख्यमंत्री	2	4	2	2	4
कैबिनेट मंत्री	1	2	1	1	2
राज्यमंत्री	1	2	1	1	2
प्रमुख सचिव/सचिव	1	2	–	–	1
अपर सचिव	1	1	–	–	1
संयुक्त सचिव/उपसचिव	–	1	–	–	1
अनुसचिव	–	–	–	–	1

(IV) निजी सचिव संवर्ग में मानक निर्धारण मा0 मंत्रिपरिषद के आदेश दिनांक 19.02.01 एवं शासन द्वारा वर्ष 2004 में लिऐ गये निर्णयानुसार निम्नवत् है:–

(a) अपर निजी सचिव से निजी सचिव श्रेणी–1	3:1
निजी सचिव श्रेणी–1 से निजी सचिव श्रेणी–2	3:1
निजी सचिव श्रेणी–2 से निजी सचिव श्रेणी–3	2:1
निजी सचिव श्रेणी–3 से निजी सचिव श्रेणी–4	3:1
(b) श्रेणी–5 के पद का शासन द्वारा लिये गये निर्णय (नवम्बर, 2004 में) के अनुसार निजी सचिव श्रेणी–4 से निजी सचिव श्रेणी–5	3:1

(V) लेखा संवर्ग

उत्तराखण्ड सचिवालय में लेखा संवर्ग में प्रमुख लेखाकार के 04, मुख्य लेखाकार/कोषाध्यक्ष के 07, लेखाकार/सहकोषाध्यक्ष के 14 एवं सहायक लेखाकार के 22 पद सृजित हैं। मा0 मंत्रिपरिषद के आदेश दिनांक 19.02.01 में यह उल्लेखित है कि लेखा संवर्ग के पदों सचिवालय के विभिन्न अनुभागों, इरला चैक तथा राज्य सम्पत्ति विभाग मा0 मुख्यमंत्री कार्यालयों के वास्तविक कार्य के घनत्व का आकलन कर सृजित किये गये हैं।

(VI) व्यवस्था संवर्ग

शासनादेश संख्या 643/XXXi(1)/04 दिनांक 27.08.04 के द्वारा व्यवस्था संवर्ग में 02 पद व्यवस्थाधिकारी एवं 06 पद व्यवस्थापक के एवं 22 पद फर्राश कें सृजित हैं। व्यवस्थाधिकारी के पदों में 01 पद पर तैनाती अनुभाग अधिकारी से एवं 01 पद पर निजी सचिव से होती है व्यवस्थापक के पदों पर तैनाती समीक्षा अधिकारी संवर्ग, एवं लेखा संवर्ग से किये जाने की व्यवस्था है।

(VII) सुरक्षा संवर्ग

शासनादेश संख्या 1037/XXX I(1)/04 दिनांक 10 सितम्बर, 2004 एवं संख्या 905/XXX I(3)/सु0–47/06 दिनांक 11 सितम्बर 2006 के द्वारा सचिवालय में स्थापित प्रवेश एवं निकास द्वारों एवं मुख्य भवनों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्य घनत्व का आकलन कर सुरक्षा संवर्ग में पदों का सृजन किया गया है।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–18 का संलग्नक–2

संवर्ग	पदनाम/श्रेणी	पदों की संख्या
1	2	3
सचिवालय सेवा संवर्ग	अपर सचिव	04
	संयुक्त सचिव	08
	उप सचिव	18
	अनुसचिव	36
	अनुभाग अधिकारी	106
समीक्षा अधिकारी संवर्ग	समीक्षा अधिकारी	420
	सहायक समीक्षा अधिकारी	213
लिपिक संवर्ग	कम्प्यूटर आपरेटर	116
	जूनियर ग्रेड क्लर्क	08
लेखा संवर्ग	प्रमुख लेखाकार	04
	मुख्य लेखाकार/कोषाध्यक्ष	07
	लेखाकार/सह कोषाध्यक्ष	14
	सहायक लेखाकार	22
निजी सचिव संवर्ग	प्रमुख निजी सचिव/अपर सचिव वेतनमान	01
	निजी सचिव श्रेणी–4	03
	निजी सचिव श्रेणी–3	09
	निजी सचिव श्रेणी–2	18
	निजी सचिव श्रेणी–1	55
	अपर निजी सचिव	168
व्यवस्थाधिकारी संवर्ग	व्यवस्थाधिकारी	02
	व्यवस्थापक	06
	फर्राश	22
सुरक्षा संवर्ग	सुरक्षा अधिकारी	01
	निरीक्षक	02
	उप निरीक्षक	05
	मुख्य रक्षक	10
	रक्षक	62

1	2	3
अनुसेवक संवर्ग	वरिष्ठ अनुसेवक	30
	अनुसेवक	257
सचिवालय में सृजित अन्य पदों का विवरण	वरिष्ठ शोध अधिकारी	01
	सहायक विधि आलेखक	01
	समीक्षा अधिकारी विधिक्षण	02
	अनुवादक	02
	पुनरीक्षक	02
	ज्येष्ठ भाषा अधिकारी	01
	भाषा अधिकारी	01
	वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी	01
	प्रकाशन अधिकारी	01
	प्रलेखीकरण अधिकारी सह पुस्तकालयाध्यक्ष	01
	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	02
	लिपिक / टंकक / सह कैटलागर	02
	पुस्तकालय परिचर	01
	चालक	04
	योग	1649

नत्थी 'ख'

(देखिए अ0प्र0सं0–11 का उत्तर पीछे पृष्ठ–29 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री प्रेमानन्द महाजन, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–11 का उत्तर का संलग्नक।

1– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत श्रीरामपुर से प्रफुल्लनगर तक मार्ग का नवीनीकरण (1.00किमी0)

2– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत दिनेशपुर–गुलरभोज मार्ग से अमृतनगर नं0–2 तक मार्ग का नवीनीकरण (2.00किमी0)

3– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत चण्डीपुर लिंक मार्ग का नवीनीकरण (1.00किमी0)

4– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत धिमरी ब्लाक से भट्टभोज हीरा तक सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण (1.00किमी0)

5– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत भूरारानी ग्राम के मध्य लिंक मार्ग का नवीनीकरण (2.00किमी0)

6– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत फौजी मटकोआ मार्ग का नवीनीकरण (2.00किमी0)

7– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत ग्राम छतरपुर में हरिजन कालोनी तक मार्ग का नवीनीकरण (2.00किमी0)

8– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत सकैनिया–बकैनिया–कलकत्ता मार्ग का नवीनीकरण (3.00किमी0)

9– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत राजपुरा नं0–2 के कुतुबपुर से सकैनिया मोड़ तक मार्ग का नवीनीकरण (1.00किमी0)

10– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत सकैनिया मोड से रामजीवनपुर ग्राम का नवीनीकरण (1.00किमी0)

11– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत महतोष मोड से मकरन्दपुर–आनन्दखेडा दिनेशपुर सरहद तक मार्ग का नवीनीकरण (2.00किमी0)

12– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत मानूरनगर मार्ग का नवीनीकरण (3.00किमी0)

13– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत बलरामनगर–सैदलीगंज मार्ग से सैदलीगंज गांव तक मार्ग का नवीनीकरण (1.00किमी0)

14– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत पिपलिया नं0–2 से भाखड़ा नदी तक मार्ग का नवीनीकरण (1.00किमी0)

15– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत धीमरखेडा अहमदनगर तक मार्ग का नवीनीकरण (2.00किमी0)

16– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत सूरजपुर नं0–1 से सूरजपूर नं0–2 तक सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण (1.00किमी0)

17– वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत रतनपुरी से भाखड़ा नदी तक मार्ग का नवीनीकरण (1.00किमी0)

18– काशीपुर रूद्रपुर मार्ग के सूरजपुर (चीनीमिल) से गदरपुर–दिनेशपुर रोड तक मार्ग का सुधार कार्य (2.00किमी0)

19– दुर्गापुर नं0– से दुर्गापुर नं0 2 तक मार्ग सुधार कार्य (2.00किमी0)

20– प्रेमनगर अलखदेवी मार्ग का सुधार कार्य (2.300किमी0)

21– मोहन पुर नं0–2 से आनन्दखेड़ा मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई 4.300किमी0)

22– दिनेशपुर मदकोटा मार्ग से चिंरजनपुर नहर पटरी मार्ग का पुनः निर्माण कार्य (लम्बाई 3.30किमी0)

नत्थी ''ग''

(देखिए अ0प्र0सं0–51 का उत्तर पीछे पृष्ठ–50 पर)

/ आश्वासन संख्या 30/2008/

संख्याः वि0स0– 697/I(2)/2009–08/04/2008

प्रेषक,

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून–248001

ऊर्जा विभाग अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 09 मार्च, 2009

विषयः–उत्तराखण्ड में विभिन्न स्थानों पर आवासीय भवनों/कार्यालयों के ऊपर से गुजरने वाली विभिन्न विभव की विद्युत लाईनों को हटाये जाने का प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 18922/उपाकालि/डी0एफ0 दिनांक 22–12–2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2–उक्त पत्र के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शासन के सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्युत लाईन संचालित होने के उपरान्त जो–जो भवन उसके नीचे निर्मित हुए हैं उनके ऊपर से विद्युत लाईन को हटाने हेतु जितना भी व्यय आयेगा वह सम्बन्धित मकान मालिकों द्वारा जमा करने के उपरान्त ही हटाया जायेगा। जहॉं–जहॉं पर विद्युत लाईन निर्मित मकानों के ऊपर बाद में संचालित की गई है उसकी धनराशि निगम अपने संसाधनों से पूरा करेगी।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव।

नत्थी "घ"

(देखिए अ0प्र0सं0–53 का उत्तर पीछे पृष्ठ–52 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री हाजी तसलीम अहमद, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–53 का उत्तर का संलग्नक

विधान सभा क्षेत्र, लालढांग

क्र0 सं0	आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम व पता	वितरित राहत राशि
1	2	3
1	श्रीमती शिमला पत्नी ज्ञान सिंह नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
2	सुदेश पुत्र नन्हा नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
3	सतपाल पुत्र झण्डू नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
4	मांगेराम पुत्र अमर सिंह नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
5	बिरमा पुत्र फग्गन नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
6	मांगेराम पुत्र पल्टू नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
7	सविता पत्नी बीरबल नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
8	सुबलेश पत्नी सुंदर नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
9	पल्टू पुत्र नन्दू नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
10	गुलाब सिंह पुत्र मंगन नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
11	शेर सिंह पुत्र गुलाब नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
12	शेरसिंह पुत्र जेट्टू नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
13	सुशील पुत्र मुवासी नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
14	रामकली पत्नी मुवासी नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
15	सुरेन्द्र पुत्र नन्हा नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
16	नन्हा पुत्र छोटा नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
17	धर्मपाल पुत्र जेट्टू नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
18	मेहरू पुत्र जेट्टू नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
19	पूरण पुत्र जेट्टू नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
20	धर्मेन्द्र पुत्र जेट्टू नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
21	सुरेनद्र पुत्र पूरण नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
22	भूपसिंह पुत्र सन्दल नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
23	जयपाल पुत्र भूपसिंह नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
24	विजय पुत्र भूपसिंह नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
25	मांगेराम पुत्र फग्गन नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
26	अतरू पुत्र मूल्लन नि0ग्राम भोगपुर	2000.00

1	2	3
27	मागे पुत्र राम सिंह नि0ग्राम भोगपुर	2000.00
28	पाल्ला पुत्र अतरसिंह नि0ग्राम भागेपुर	2000.00
29	उदयवीर पुत्र सकटू नि0ग्राम भागेपुर	2000.00
30	बलमत पुत्र ओमप्रकाश नि0ग्राम भागेपुर	2000.00
31	पवन पुत्र लखमी नि0ग्राम भागेपुर	2000.00
32	सीतो पत्नी लखमी नि0ग्राम भागेपुर	2000.00
33	अशोक पुत्र ज्ञान सिंह नि0ग्राम भागेपुर	2000.00
34	शीशपाल पुत्र रूप्पा नि0ग्राम भागेपुर	2000.00
35	मुनेश पुत्र रूप्पा नि0ग्राम भागेपुर	2000.00
	तहसील, हरिद्वार कुल योगः— रू0	70,000.00

तहसील लक्सर

1	2	3
1	रियासत पुत्र मंजूर नि0ग्राम सुठारी	2500.00
2	समय सिंह पुत्र आशाराम नि0ग्राम रामपुर रायघटी	2500.00
3	रामपाल पुत्र सुखवीर नि0ग्राम रामपुर रायघटी	1000.00
4	मुकेश पुत्र रामप्रसाद नि0ग्राम रामपुर रायघटी	1000.00
5	महेन्द्र पुत्र सुखवीर नि0ग्राम रामपुर रायघटी	1000.00
6	इमरत पुत्र सुखवीर नि0ग्राम रामपुर रायघटी	1000.00
7	जगवीर पुत्र सुखवीर नि0ग्राम रामपुर रायघटी	1000.00
8	बहादुर पुत्र कडिया नि0ग्राम रामपुर रायघटी	1000.00
9	बीर सिंह पुत्र बलदेवा नि0ग्राम रामपुर रायघटी	1000.00
10	मदन पुत्र बीर सिंह नि0ग्राम रामपुर रायघटी	1000.00
11	पवन पुत्र बीर सिंह नि0ग्राम रामपुर रायघटी	1000.00
12	कृपया पुत्र महानन्द नि0ग्राम रामपुर रायघटी	1000.00
13	बाबू राम पुत्र महानन्द नि0ग्राम रामपुर रायघटी	1000.00
14	करतार पुत्र महानन्द नि0ग्राम रामपुर रायघटी	1000.00
15	श्रीमती रतनी विधवा महानन्द नि0ग्राम रामपुर रायघटी	1000.00
16	हरफूल पुत्र आशा नि0ग्राम रामपुर रायघटी	1000.00
17	सुरेश पुत्र हरफूल नि0ग्राम रामपुर रायघटी	1000.00
18	लोकेश पुत्र हरकेश नि0ग्राम रामपुर रायघटी	1000.00
	तहसील, लक्सर कुल योगः— रू0	21000.00

नत्थी ''ङ''

(देखिए अ0प्र0सं0–57 का उत्तर पीछे पृष्ठ–55 पर)

करैखाल गोदी बड़ी मोटर मार्ग निर्माण कार्य के अन्तर्गत अध्याप्ति भूमि का प्रतिकर भुगतान।

सुनारगॉव

क्र0 सं0	खाता सं0	भूमिधर का नाम	अर्जित खेत नं0	अर्जित क्षेत्र हे0	प्रतिकर की धनराशि @Rs. 1,43,750/ प्रति हे0	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	2	श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री गबरूदीन	520 म0	0.010	रू0 7043.75	03/02/06
			559 म0	0.008		
			574 म0	0.005		
			575 म0	0.016		
			580/1	0.010		
			योग–	0.049		
2	2	श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुंवरलाल	568 म0	0.005	रू0 12650.00	03/02/06
			569 म0	0.003		
			581/1	0.005		
			582 म0	0.003		
			586	0.038		
			519 म0	0.034		
			योग–	0.088		
3	3	1–श्री बच्चन सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह	572 म0	0.076	रू0 13225.00	03/02/06
			573 म0	0.016		
			योग–	0.092		
		2–श्री जगत सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह	573 म0	0.009	रू0 6612.50	03/02/06
			560 म0	0.013		
			518 म0	0.018		
			585 म0	0.006		
			योग–	0.046		
4	4	1–श्री बचन सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह	589 म0	0.023	रू0 13225.00	03/02/06
			591 म0	0.038		
			593	0.031		
			योग–	0.092		
		2–श्री जगत सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह	517 म0	0.020	रू0 6756.25	03/02/06
			570 म0	0.024		
			587 म0	0.003		
			योग–	0.047		
5	5	श्री अब्दुल रहमान पुत्र गबरूदीन	594 म0	0.005	रू0 718.75	03/02/06

करैखाल गोदी बड़ी मोटर मार्ग निर्माण कार्य के अन्तर्गत अध्याप्ति भूमि का प्रतिकर भुगतान।

गोदी बड़ी

1	2	3	4	5	6	7
1	2	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री महानन्द	362	0.066	रू0 15956.25	03/02/06
			363	0.035		
			171 म0	0.010		
			योग–	0.111		
2	3	श्री मदन मोहन पुत्र श्री चक्रधर	209 म0	0.009	रू0 20413.00	21/09/06
			210 म0	0.001		
			150 म0	0.001		
			152 म0	0.016		
			157 म0	0.001		
			158 म0	0.025		
			161 म0	0.054		
			168 म0	0.001		
			169 म0	0.001		
			170 म0	0.006		
			199 म0	0.015		
			153 म0	0.001		
			231 म0	0.006		
			364 म0	0.005		
			योग–	0.142		
3	7	श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री रोशन लाल	228	0.010	रू0 1437.50	03/02/06
			योग–	0.010		
		श्री पूरण सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह	225 म0	0.001	रू0 143.75	03/02/06
			योग–	0.001		
		श्री मोहन लाल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	229	0.015	रू0 2731. 25	03/02/06
			230	0.004		
			योग–	0.019		
4	8	श्री पूरण सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह	139 म0	0.020	रू0 11931.25	03/02/06
			221 म0	0.008		
			222	0.014		
			327	0.025		
			341 म0	0.001		
			348 म0	0.015		
			योग–	0.083		
		श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह	331	0.040	रू0 7331.25	14/02/06
			361	0.011		
			योग–	0.051		
		श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुरली सिंह	137 म0	0.010	रू0 20412.50	03/02/06
			138 म0	0.025		
			140 म0	0.040		
			330	0.013		

1	2	3	4	5	6	7
			325 म0	0.015		
			333 म0	0.005		
			346 म0	0.008		
			160 म0	0.020		
			359 म0	0.001		
			योग–	0.142		
5	10	श्री मोहन लाल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	172 म0	0.070	रू0 26162.50	03/02/06
			173 म0	0.051		
			174 म0	0.005		
			226 म0	0.003		
			261 म0	0.010		
			326 म0	0.018		
			359 म0	0.025		
			योग–	0.182		
6	11	श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री रोशन लाल	223	0.015	रू0 7618.75	03/02/06
			234 म0	0.004		
			227 म0	0.005		
			347	0.011		
			342 म0	0.001		
			328	0.010		
			329	0.004		
			349 म0	0.003		
			योग–	0.053		
		श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुरली सिंह	263 म0	0.025	रू0 3593.75	03/02/06
			योग–	0.025		

(कुल योग– रू0 177963.00)

नोट :– मलवे से कोई भूमि प्रभावित नहीं हुई है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा–गढ़वाल

नत्थी "च"

(देखिए अ0प्र0सं0–58 का उत्तर पीछे पृष्ठ–58 पर)

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों की पदवार संख्या/विवरण

क्र. सं0	विभिन्न वर्गों के पदों का पद नाम	स्वीकृत पदा की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्थाई कार्मिकों संख्या	अस्थाई कार्मिकों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	व्यवस्थापक	20	16	04	16	–	–
2	प्रवर सहायक	5	–	5	–	–	पद रिक्त है।
3	स्वागती	21	2	19	2	–	कार्मिक पदोन्नति के फलस्वरूप परिवीक्षा अवधि में है।
4	आवास निरीक्षक	1	1	0	–	1	कार्मिक पदोन्नति के फलस्वरूप परिवीक्षा अवधि में है।
5	टंकक	1	1	0	–	1	कार्मिक पदोन्नति के फलस्वरूप परिवीक्षा अवधि में है।
6	विधि सहायक	1	0	1	–	–	पद आस्थगन में रखा गया है।
7	स्टोर कीपर	5	3	2	–	3	स्थाईकरण की कार्यवाही विचाराधीन है।
8	टेलीफोन आपरेटर	15	9	6	–	9	02 कार्मिको को स्थाई किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। शेष 04 कार्मिक अभी परिवीक्षा अवधि में है।
9	मेंटिनेन्स सहायक	1	0	1	–	–	पद आस्थगन में रखा गया है।
10	लेखा लिपिक	1	0	1	–	–	पद रिक्त है।
11	स्वागती कम पूछताछ लिपिक	4	3	1	–	3	कार्मिक पदोन्नति के फलस्वरूप परिवीक्षा अवधि में है।
12	कार्यालय सहायक कम कम्प्यूटर आपरेटर	1	0	1	–	–	पद रिक्त है।
13	वाहन चालक (I) ग्रेड–1	6	6	–	6	–	–
	(II) ग्रेड–2	38	38	–	38	–	–
	(III) ग्रेड–3	39	36	3	36	–	–
	(IV) ग्रेड–4	45	45	–	21	24	24 वाहन चालक नवनियुक्ति के फलस्वरूप परिवीक्षा अवधि में हैं।
14	हेड कुक	5	0	5	–	–	पद रिक्त है।
15	कुक/कायरमैन/बटलर	21	9	12	7	2	स्थाईकरण की कार्यवाही विचाराधीन है।
16	टेलीफोन अटैंडेंट	2	2	0	–	2	स्थाईकरण की कार्यवाही विचाराधीन है।
17	हेल्पर/फर्राश/मशालची/उन्दूमैन/बियरर/अनुसेवक/माली/वाहक/चौकीदार	59	51	8	39	12	स्थाईकरण की कार्यवाही विचाराधीन है।
18	बिलियर्ड मार्कर (मृत संवर्ग)	1	1	0	1	–	–
19	सफाई कर्मचारी (मृत संवर्ग)	5	5	0	5	–	–
		297	228	69	171	57	

अरविन्द सिंह ह्यांकी
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

नत्थी "छ"

(देखिये अ0प्र0सं0–78 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–65 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्रीमती अमृता रावत, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–78 का उत्तर का संलग्नक।

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	सम्भागीय परिवाहन अधिकारी पौड़ी को विवरण उपलब्ध कराये जाने की तिथि
1	2	3
1.	कौड़िया–किमसार मार्ग (लम्बाई 21.5 किमी0)।	12.02.09
2.	चैलूसैंण–सिलोगी–घट्टूगाट मोटर मार्ग।	–तदैव–
3.	नालीखाल–नाथूखाड पोखरीखेत मार्ग।	–तदैव–
4.	नालीखाल–बनचूरी मोटर मार्ग।	–तदैव–
5.	यमकेश्वर लिंक मार्ग।	–तदैव–
6.	डौलियाखाल–पटौवि सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 1.500 किमी0)।	22–05–09
7.	बेदीखाल–एरोली–पडिण्डा मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 किमी0)।	–तदैव–
8.	किल्वोखाल–टकोलीखाल मोटर मार्ग (लम्बाई 5.00 किमी0)।	27–06–09
9.	बाडा–पिसोली–पौड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई–8.50 किमी0)।	12.06.09
10.	दिगाली–अरकनी–जनासू मोटर मार्ग (लम्बाई–4.00 किमी0)।	–तदैव–
11.	घुन्ना–विडोली मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 किमी0)।	–तदैव–
12.	मेलसैंण–नलई–मलुण्ड मोटर मार्ग (लम्बाई 2.00 किमी0)।	–तदैव–
13.	जामलाखाल–चराकोट मोटर मार्ग से पंचुर सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 3.00 किमी0)।	–तदैव–

1	2	3
14.	मंजिन काण्डा मोटर मार्ग (लम्बाई 2.50 किमी0)।	–तदैव–
15.	डोभ–श्रीकोट–जामणखाल–हुलाकी खाल मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 किमी0)।	–तदैव–
16.	श्रीनगर–पौड़ी मोटर मार्ग के किमी0 7 से एन0एच0 58 तक मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 किमी0)।	–तदैव–
17.	रामपुर–गवाणा मोटर मार्ग (लम्बाई 1.00 किमी0)।	–तदैव–
18.	तैला–बारें सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 4.00 किमी0)।	–तदैव–
19.	चोपडा–नौंगाव–त्याणगढ़ मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 किमी0)।	–तदैव–
20.	डाग–ऐठाणा मोटर मार्ग (लम्बाई 1.50 किमी0)।	–तदैव–
21.	खिर्सू–मौजखाल–मोल्खाखाल–डोबरी–आदिबद्री मोटर मार्ग (लम्बाई 1.72किमी0)।	18–05–09
22.	सीकू–कण्डेरी मोटर मार्ग (लम्बाई 6.50 किमी0)।	–तदैव–
23.	गोडख्याखाल–विशल्ड मोटर मार्ग (लम्बाई 4.50 किमी0)।	–तदैव–
24.	चोपडियूं–कुलमोरी मोटर मार्ग (लम्बाई 5.00 किमी0)।	–तदैव–
25.	देवराजखाल–जैखाल मोटर मार्ग (लम्बाई 5.00 किमी0)।	–तदैव–
26.	बिडोली–बिजोली मोटर मार्ग (लम्बाई 5.00 किमी0)।	–तदैव–
27.	व्यासी–मासों–बूंगीधार मोटर मार्ग (लम्बाई 20.00 किमी0)।	24–06–09

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 विधान सभा / 182–16–08–2012–200 (कम्प्यूटर / रीजियो)